

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1388
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

भू-नीर पोर्टल पहल

1388. श्रीमती पूनमबेन माडमः

श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भू-नीर पोर्टल पहल के मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) सरकार द्वारा उक्त पहल को कार्यान्वयन करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं तथा इसके कार्यान्वयन की अपेक्षित समय-सीमा क्या है तथा इसके क्या अपेक्षित परिणाम होंगे; और
- (ग) सरकार द्वारा उक्त पोर्टल के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा आम जनता तक इसकी आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): "भू-नीर" केंद्रीय भूमिजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की संयुक्त टीम द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक पोर्टल है। इस पोर्टल को भूजल के निष्कर्षण हेतु एनओसी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक त्वरित और सुलभ मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन के लिए एक सुचारू और कुशल तंत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, भूजल निष्कर्षण के लिए विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं द्वारा एनओसी आवेदन भू-नीर पोर्टल पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इस पोर्टल को कई उन्नत एवं सरल विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है ताकि भूजल उपयोग में पारदर्शिता, दक्षता और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

(ख): भू-नीर पोर्टल को 30 अक्टूबर 2024 से सक्रिय कर दिया गया है। यह पोर्टल नए एनओसी जारी करने और इनके नवीनीकरण संबंधी आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग और प्रसंस्करण हेतु आम जनता के लिए उपलब्ध है।

(ग): इस पोर्टल को माननीय जल शक्ति मंत्री, द्वारा दिनांक 19.09.2024 को 8वें भारत जल सप्ताह (आईडब्ल्यूडब्ल्यू) के समापन सत्र के दौरान लॉन्च किया गया था। आईडब्ल्यूडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पर इस पोर्टल के लॉन्च से इसे व्यापक प्रचार एवं लोकप्रियता प्राप्त हुई क्योंकि इस कार्यक्रम को मीडिया द्वारा बड़े पैमाने पर कवर किया गया था। इस कार्यक्रम में औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। मंत्रालय द्वारा दिनांक 20.11.2024 को भू-नीर पोर्टल के शुभारंभ पर विशेष रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई, ताकि इस विषय का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूए द्वारा विभिन्न चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं और इस पोर्टल तथा इसकी उपयोगिताओं के विषय में आम जनता और विशेष रूप से भूजल का निष्कर्षण करने वाले परियोजना प्रस्तावकों को संवेदनशील बनाने के लिए जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किए जाते हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस पोर्टल के संचालन को सुगम बनाने के लिए इसमें कई उपयोक्ता- अनुकूल सुविधाओं का विकास किया गया है। इससे परियोजना प्रस्तावकों को सुव्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान करने के लिए सरलीकृत के साथ-साथ सूचनात्मक इंटरफेस, पैन आधारित एकल आईडी प्रणाली, ऑनलाइन शुल्क कैलकुलेटर, आवेदन संबंधी अद्यतन सूचना और एसएमएस और ई-मेल आदि के माध्यम से वास्तविक समय प्रगति अपडेट प्राप्त होती है।

इसके अतिरिक्त, कार्य की सुगमता को ध्यान में रखते हुए, आवेदन भरने के लिए समय और प्रयास को कम करने के लिए पोर्टल के पृष्ठों को एक ही स्थान पर सभी अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1594
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
भूजल में नाइट्रेट का स्तर

1594. डॉ. धर्मवीर गांधी:	श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
डॉ. प्रशांत यादवराज पडोले:	श्री अमरिंदर सिंह राजा वारिंग:
श्री एंटो एन्टोनी	श्री गौरव गोगोई:
डॉ. अमर सिंह:	श्री गुरजीत सिंह औजला:
श्री कुलदीप इंदौरा:	डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:
श्री के. सुधाकरन:	

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों सहित देश में नाइट्रेट के स्तर से संबंधित जिलेवार आंकड़े क्या हैं;
- (ख) कृषि पद्धतियों के कारण होने वाले नाइट्रेट संदूषण को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/की जा रही है और उर्वरकों के उपयोग और पानी की गुणवत्ता पर उनका प्रभाव क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा विशेषकर राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक जैसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में अन्य स्रोतों से प्रदूषण को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) जल स्तर मापने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग और 2027 तक इसके नेटवर्क को 40,000 कुंओं तक बढ़ाने के अपेक्षित परिणाम सहित भूजल निगरानी नेटवर्क के विस्तार में क्या प्रगति हुई है;
- (ङ) विशेषकर अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों में भूजल के संवहनीय टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित करते हुए भूजल दोहन को पुनर्भरण के साथ संतुलित करने की सरकार की रणनीति क्या है; और
- (च) क्या सरकार ने भूजल में रासायनिक संदूषण के पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभावों के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके परिणाम क्या हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूमि जल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम के भाग के रूप में वार्षिक रूप से और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता

संबंधी आंकड़े तैयार करता है। वर्ष 2019 और 2023 के लिए दर्ज भूजल नमूनों में नाइट्रेट के स्तर पर जिलेवार डेटा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

https://cgwb.gov.in/sites/default/files/inline-files/percentage_of_samples_nitrate_morethan_permmissible_limits_all_states_2023_2019.pdf

दर्ज आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में, 2019 में विश्लेषित नमूनों में से 24% में अनुमेय सीमा (>45 मिलीग्राम/लीटर) से अधिक नाइट्रेट था, जबकि 2023 में अनुपात 45% था। इसी तरह, हनुमानगढ़ में, अनुमेय सीमा से अधिक नाइट्रेट की रिपोर्ट करने वाले नमूनों का प्रतिशत क्रमशः 2019 में 26% और 2023 में 56% था।

(ख): सरकार रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करने और जैविक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से देश में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय कर रही है। सरकार वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजनाएं लागू कर रही है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक तत्वों की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करता है और साथ ही मृदा स्वास्थ्य और इसकी उत्पादकता में सुधार के लिए पोषकतत्वों की उपयुक्त खुराक की सिफारिश करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) पर सिफारिशों के आधार पर, जैविक खादों और जैव उर्वरकों के संयोजन के साथ द्वितीयक और सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए देश भर में अब तक 93781 किसान प्रशिक्षण और 7425 किसान मेला/अभियान आयोजित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) कार्यक्रम के माध्यम से वर्ष 2019-2020 से प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। यह योजना मुख्य रूप से सभी सिंथेटिक रासायनिक आदानों के बहिष्करण पर बल देता है और बायोमास मल्लिचंग, गाय के गोबर-मूत्र योगों के उपयोग और अन्य संयंत्र आधारित तैयारियों पर प्रमुख जोर देने के साथ ऑन-फार्म बायोमास रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देती है।

(ग): जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता में सुधार करने और संदूषण की समस्या को कम करने के लिए पहल करने सहित भूजल प्रबंधन का उत्तरदायित्व प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे नियमित गुणवत्ता मानीटरिंग और सीजीडब्ल्यूबी द्वारा राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ आंकड़ों का आदान-प्रदान, आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं का निर्माण शुरू करना और प्रौद्योगिकी का प्रसार करना, जल में प्रदूषण को रोकने और नियंत्रण के लिए जल (निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का कार्यान्वयन आदि।

लेकिन दूषित जल के प्रतिकूल प्रभावों से देश की पूरी आबादी को बचाने के लिए प्रमुख उपाय सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल के कार्यान्वयन के माध्यम से एक श्रेष्ठ पहल के रूप में प्रदान किया गया है। जेजेएम अगस्त 2019 से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक राज्यों सहित देश में कार्यरत है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल से जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस मानकों को नल जल सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है और जेजेएम दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित स्थानों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाए।

(घ): वास्तविक समय आधार पर भूजल के संबंध में उच्च बारंबारता आंकड़े रखने के महत्व को महसूस करते हुए, इस मंत्रालय ने भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना, अटल भूजल योजना आदि जैसी अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत पूरे देश में टेलीमैट्री सिस्टम के साथ डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत उक्त कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकारों को भी वित्तपोषित किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत देश भर में अब तक लगभग 24,000 डीडब्ल्यूएलआर स्थापित किए गए हैं जो भूजल संबन्धित वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है।

(ङ): जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम, जिसमें जल की कमी वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, नीचे दिए गए हैं:-

- i. सरकार 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए 2024 को देश में लागू किया जा रहा है, जिसमें देश के 151 जल संकट वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक संयुक्त अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।

- ii. सीजीडब्ल्यूबी ने जलभृत विस्थापन और उनके लक्षण-वर्णन की रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) शुरू किया है। इस योजना के तहत देश के लगभग 25 लाख वर्ग किमी के पूरे मैप करने योग्य क्षेत्र का मानचित्रण किया गया है और प्रबंधन योजनाओं को कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ साझा किया गया है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा पूरे देश के लिए भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान- 2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें लगभग 185 बीसीएम (बिलियन क्यूबिक मीटर) जल का दोहन करने के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।
- iv. जल शक्ति मंत्रालय अटल भूजल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है, जो 7 राज्यों के 80 जल की कमी वाले जिलों में भूजल के मांग पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए एक समुदाय आधारित स्कीम है।
- v. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार, वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना लागू कर रहा है। इस स्कीम में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
- vi. भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना था। इसके परिणामस्वरूप देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/जीर्णोद्धार किया गया है।

(च): पीने के उद्देश्य के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि का अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में लंबे समय तक उपयोग करने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक के उद्घासन से त्वचा पर घाव, कैंसर, बच्चों में हृदवाहिका रोग और विकासात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इसी तरह, भूजल में अत्यधिक फ्लोराइड के परिणामस्वरूप दंत और कंकाल फ्लोरोसिस हो सकता है। इसी तरह, विभिन्न अन्य संदूषक विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पैदा करने के लिए जाने जाते हैं।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1586
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

वृक्षों के विनाश और मृदा क्षरण का प्रभाव

1586. श्री सुनील बोस:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि वृक्षों के अंधाधुंध विनाश और मृदा क्षरण के कारण नदियों में गाद जमने की समस्या बढ़ गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इससे जल स्रोतों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) वृक्षों के बड़े पैमाने पर विनाश और मृदा क्षरण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): नदी में कटाव, गति और तलछट का जमाव नदी के प्राकृतिक विनियमन कार्य हैं। नदियाँ अपने साथ लाए गए गाद भार और जमा हुई गाद भार के बीच संतुलन बनाए रखती हैं, जिससे नदी का संचालन बना रहता है। वनों और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। वनों और वृक्ष संसाधनों की सुरक्षा के लिए कानूनी संरचनाएं हैं जिनमें भारतीय वन अधिनियम 1927, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जैविक विविधता अधिनियम, 2002 और राज्य वन अधिनियम और नियम शामिल हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन इन अधिनियमों/नियमों के तहत किए गए प्रावधानों के तहत वनों और पेड़ों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय विभिन्न योजनाओं जैसे कि राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, नगर वन योजना और "तटीय आवासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (मिष्ठी)"

के माध्यम से वनरोपण और वनों के संरक्षण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के प्रयासों में भी सहायता करता है। "प्रतिपूरक वनरोपण निधि (कैम्पा)" का उपयोग करके वनरोपण गतिविधियाँ भी बड़े पैमाने पर की जाती हैं।

इसके अलावा, बाढ़ प्रबंधन और कटाव निरोधक योजनाएँ संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार बनाई और कार्यान्वित की जाती हैं। भारत सरकार तकनीकी सहायता के साथ-साथ महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता प्रदान करती है और बढ़ावा देती है। केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव निरोधक, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव निरोधक आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जिसे बाद में 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)" के एक घटक के रूप में जारी रखा गया और इसे 2021-22 से 2025-26 के दौरान और आगे बढ़ाया गया है।

नदी मार्गों और जल निकायों में तलछट के व्यापक और समग्र प्रबंधन के लिए, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करके "तलछट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (एनएफएसएम)" तैयार की है। इसका जोर गाद हटाने की बजाय गाद उत्पादन को कम करने और तकनीकी नवाचारों और सर्वोत्तम तरीकों को बढ़ावा देने पर है। यह रूपरेखा पर्यावरण और पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन योजना के माध्यम से तलछट प्रबंधन पर जोर देती है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1566

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना

1566. श्री चव्हाण र वन्द्र वसंतराव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री सूधीर गुप्ता:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार का विचार देश के पश्चिमी भाग में 11 प्रमुख और छोटी नदियों को जोड़ने का है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त उद्देश्य के लिए चयनित नदियों के नाम क्या हैं;
- (ग) उक्त परियोजना पर कुल कतना व्यय होने की संभावना है तथा इस उद्देश्य के लिए कतनी धनराशि स्वीकृत/जारी की गई है;
- (घ) क्या सरकार द्वारा परियोजना के लिए वस्तुतः परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या सरकार ने उक्त परियोजना के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों के साथ कसी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यह परियोजना पश्चिमी भारत के जल संकटग्रस्त राज्यों में जल समस्या के समाधान में कस सीमा तक सहायक होगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने अधिशेष बेसनों से जल की कमी वाले बेसनों/क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने (आईएलआर) हेतु एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की। एनपीपी के तहत दो घटकों के साथ 30 लंक परियोजनाओं की पहचान की गई है, अर्थात्; हिमालयी घटक (14 लंक परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 लंक परियोजनाएं)।

देश के पश्चिमी भाग में एनपीपी के अंतर्गत 5 आईएलआर परियोजनाएँ हैं, अर्थात्; यमुना-राजस्थान लंक, राजस्थान-साबरमती लंक, संशोधित पार्वती-काली संधि-चंबल (संशोधित पीकेसी) लंक, दमनगंगा-पंजल लंक और पार-तापी-नर्मदा लंक। इन परियोजनाओं के ववरण के साथ, इन परियोजनाओं की वस्तुतः परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर)/पूर्व-

व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) की तैयारी की स्थिति, लाभान्वित राज्य, परियोजनाओं से संचाई, औद्योगिक और घरेलू जल आपूर्ति लाभ और उनमें आपस में जोड़ी जाने वाली नदियों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

उपरोक्त 5 आईएलआर परियोजनाएँ देश के पश्चिमी भाग में अभी तक कार्यान्वयन के चरण में नहीं पहुँची हैं, क्योंकि संबंधित आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आम सहमति बनाना संबंधित राज्यों पर निर्भर रहता है। परियोजनाओं के लिए धन की स्वीकृति जारी तब की जाएगी जब ये परियोजनाएँ कार्यान्वयन के चरण में पहुँच जाएँगी। परियोजनाओं की अनुमानित लागत अनुलग्नक-II में दी गई है।

अनुलग्नक-1

“देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1566, जिसका उत्तर दिनांक 13.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

देश के पश्चिमी भाग में 5 आईएलआर परियोजनाओं का ववरण और लाभ

क्र. सं.	लंक का नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक संचाई [लाख हेक्टेयर]	घरेलू और औद्योगिक [म लयन क्यूबिक मीटर (एमसीएम)]	जल वद्युत [मेगावाट (एम.डब्ल्यू)]	स्थिति	नदियां
1.	यमुना राजस्थान लंक	हरियाणा और राजस्थान	2.51 (0.11 + 2.40)	30	--	एफआर पूर्ण	यमुना
2.	राजस्थान साबरमती लंक	राजस्थान और गुजरात	11.53 (11.21+0.32)	102	--	एफआर पूर्ण	लूणी, सुकरी, सागी, बांडी और सुकाल बनास
3.	संशोधित पारबती-काली संध चंबल लंक परियोजना	राजस्थान और मध्य प्रदेश	राज्यों को मलने वाले लाभों का ववरणता लका के नीचे दिया गया है			एफआर पूर्ण	पारबती, काली संध, चंबल, कुल, बनास, मेज, कूनो, चामला, शप्रा, लखुंदर और नेवज
4.	दमनगंगा-पंजल लंक	महाराष्ट्र	--	895	5	एफआर पूर्ण	दमनगंगा, पंजल
5.	पार-तापी-नर्मदा लंक	गुजरात	2.27	76	21	एफआर पूर्ण	पार, तापी और नर्मदा
		महाराष्ट्र	0.05	--	--		

उपर्युक्त आईएलआर परियोजनाओं का अन्य ववरण निम्नानुसार है:

1. यमुना-राजस्थान लंक परियोजना: यमुना-राजस्थान लंक परियोजना हरियाणा राज्य में प्रस्तावित यमुना बैराज से शुरू होने की परिकल्पना की गई है और यह राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में समाप्त होगी। हरियाणा के भवानी जिले और राजस्थान के हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों के रेगस्तानी इलाकों को इस लंक नहर से लाभ मलता है। लंक नहर से 2.51 लाख हेक्टेयर वार्षिक संचाई (हरियाणा में 0.11 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2.40 लाख हेक्टेयर और रास्ते में घरेलू जरूरतों के लिए 30 म लयन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) पानी) उपलब्ध होगी।
2. राजस्थान -साबरमती लंक परियोजना: राजस्थान - साबरमती लंक नहर यमुना-राजस्थान लंक नहर का वस्तार है और यह राजस्थान के जैसलमेर जिले से शुरू होकर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में समाप्त होती है। यह लंक परियोजना कुल 11.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (राजस्थान में 11.21 लाख हेक्टेयर और गुजरात में 0.32 लाख हेक्टेयर) के लिए वार्षिक संचाई और 102 एमसीएम (राजस्थान में 97 एमसीएम और गुजरात में 5 एमसीएम) की घरेलू जल आपूर्ति प्रदान करती है।
3. संशोधित पीकेसी लंक परियोजना: संशोधित पीकेसी लंक का मसौदा पीएफआर और संशोधित पीकेसी लंक की डीपीआर तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) का मसौदा जनवरी 2023 में दोनों राज्यों को भेजा गया था। भारत सरकार के लगातार प्रयासों से इन दोनों राज्यों द्वारा दिनांक 28.01.2024 को नई दिल्ली में दोनों राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों की उपस्थिति में इसकी डीपीआर तैयार करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके बाद दिनांक 05.12.2024 को राजस्थान और एमपी राज्यों और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना से मध्य प्रदेश को लाभ मलेगा, जिससे लगभग 1815 म लयन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल का उपयोग करके लगभग 6 लाख हेक्टेयर (हेक्टेयर) के कमांड क्षेत्र में वार्षिक संचाई हो सकेगी और मालवा क्षेत्र सहित शवपुरी, ग्वालियर, भंड, मुरैना, श्योपुर, शाजापुर, आगर मालवा, राजगढ़, सीहोर, गुना, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार और देवास जिलों को लगभग 71 एमसीएम पानी की पेयजल आपूर्ति होगी। राजस्थान में, लंक परियोजना का उद्देश्य पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली - बहरोर, जयपुर शहरी, जयपुर ग्रामीण, दूदू, अजमेर, ब्यावर,

केकड़ी) और मार्ग में पड़ने वाले कस्बों, तालाबों और गांवों की लक्ष्य आबादी को (लगभग 1744 एमसीएम पानी) पेयजल उपलब्ध कराना है और साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अन्य उद्योगों के लिए लगभग 205 एमसीएम पानी की औद्योगिक पानी की मांग को पूरा करना है। राजस्थान में लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर मौजूदा कमांड क्षेत्र को स्थिर करने के साथ-साथ नए कमांड क्षेत्र के 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की संचाई के लिए लगभग 1360 एमसीएम पानी का भी प्रावधान है।

4. दमनगंगा-पंजल लंक में दमनगंगा नदी बेसन में भीगड़ [(7.441 हजार मलयन क्यूबिक फीट (टीएमसी)] बांध से पानी को वैतरणा नदी बेसन में मोड़ने की परिकल्पना की गई है, जिससे वैतरणा नदी बेसन में पंजल बांध से अतिरिक्त 1586 एमएलडी (20.44 टीएमसी) पानी उपलब्ध होगा। इस प्रकार, मुंबई शहर को जलापूर्ति के लिए कुल 31.60 टीएमसी पानी उपलब्ध होगा।
5. पार-तापी-नर्मदा लंक परियोजना में पार, औरंगा, अंबिका और पूर्णा नदी घाटियों के 46.96 टीएमसी अतिरिक्त जल का उपयोग मार्ग में संचाई के लिए तथा परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यह परियोजना नर्मदा नहर प्रणाली की मौजूदा मयागाम शाखा नहर के कमांड क्षेत्र के एक हिस्से को भी अपने अधीन ले लेगी, ताकि सरदार सरोवर परियोजना में बचाए गए पानी को गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्रों के जल की कमी वाले क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के लिए उत्तर की ओर ले जाया जा सके।

अनुलग्नक-11

“देश के पश्चिमी भाग में नदियों को जोड़ना” के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1566 जिसका उत्तर दिनांक 13.02.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) से (च) में संदर्भित अनुलग्नक

देश के पश्चिमी भाग में आईएलआर परियोजना की अनुमानित लागत

क्र.सं.	लंक का नाम	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1.	यमुना-राजस्थान लंक	वर्ष 2020-21 के मूल्य स्तर (पी.एल.) पर 33,744.64 रुपए
2.	राजस्थान-साबरमती लंक	वर्ष 2019-20 के पी.एल. पर 25,299.39 रुपए
3.	संशोधित पारबती- काली संध -- चंबल लंक परियोजना	--
4.	दमनगंगा- पंजल लंक	वर्ष 2015-16 के पी.एल. पर 3,008 रुपए
5.	पार-तापी-नर्मदा लंक	वर्ष 2014-15 के पी.एल. पर 10,211 रुपए

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1551
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण

1551. श्री कल्याण बनर्जी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण की सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह सूचना मिली है कि देश के 56 प्रतिशत जिलों में भूजल गंभीर रूप से प्रभावित है और उसमें गंभीर प्रदूषण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्ष 2015 से अब तक दूषित जिलों में वर्ष-वार कितनी वृद्धि दर्ज की गई है; और
- (घ) इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) पूरे देश में नियमित आधार पर कई संदूषकों नाइट्रेट, आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि के लिए भूजल गुणवत्ता की मॉनिटरिंग करता है और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता डेटा भी तैयार करता है। इन अध्ययनों के निष्कर्षों से यह ज्ञात होता है कि देश में अधिकांशतः भूजल पीने योग्य है। तथापि, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अलग-अलग पाकेटों में भूजल में मानव उपभोग की अनुमत्य सीमा (बीआईएस के अनुसार) से अधिक उक्त संदूषकों की मौजूदगी की सूचना प्राप्त हुई है।

सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार की गई वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों से एकत्र और विश्लेषण किए गए स्थानीय भूजल नमूनों में पेय जल के लिए निर्धारित सीमा से अधिक ईसी, नाइट्रेट और फ्लोराइड की सूचना प्राप्त हुई है। वर्ष 2023 के दौरान उक्त मापदंडों की निर्धारित सीमा से अधिक राज्यवार सूचना अनुलग्नक-I में संलग्न हैं।

(ख): देश के कुल 788 जिलों में से 443 जिलों (लगभग 56%) के अलग-अलग पॉकेटों से भूजल नमूनों में नाइट्रेट की सूचना मिली है।

इसके अतिरिक्त, 218 जिलों में अधिक इलेक्ट्रिकल कन्डक्टिविटी (ईसी) की छिट-पुट घटनाओं की सूचना मिली है, जबकि 263 जिलों के अलग-अलग भागों में निर्धारित सीमा से अधिक फ्लोराइड की मात्रा का पता चला है।

(ग): भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के आधार पर, वर्ष 2017 से 2023 तक विभिन्न भूजल संदूषकों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विभिन्न रिपोर्टों, नीति दस्तावेजों और दिशानिर्देशों के माध्यम से दूषित भूजल की खपत के कारण होने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया गया है। भूजल संदूषण को कम करने के लिए और देश की आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दृष्टि से केंद्र सरकार ने इस तथ्य के बावजूद, कई उल्लेखनीय पहल की हैं, कि जल राज्य का विषय है और भूजल गुणवत्ता के मुद्दों के समाधान का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों पर है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिए गए हैं:

- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराए जाते हैं और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता पर जानकारी और सूचना के प्रसार में और अधिक तेजी लाने के उद्देश्य से सीजीडब्ल्यूबी द्वारा अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और पाक्षिक अलर्ट जारी करने की प्रथा आरंभ की गई है ताकि सूचित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।
- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मैपिंग कार्यक्रम (नेक्यूम) के अंतर्गत भूजल में विषैले पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक-मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है।
- भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के पानी की आपूर्ति की जा सके। जेजेएम के तहत, घरों में नल से पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय गुणवत्ता प्रभावित स्थानों को प्राथमिकता दी जाती है। किसी विशेष

वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों में रहने वाली आबादी को 10% अतिरिक्त वेटेज दिया जाता है।

- सीपीसीबी द्वारा बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया गया है, जिसके मुख्य घटकों द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उद्योग विशिष्ट मानकों और सामान्य मानकों का विकास किया जा रहा है। इसका कार्यान्वयन एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सहमति तंत्र; लघु उद्योगों के क्लस्टर के लिए साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना; बहिस्त्राव की गुणवत्ता आदि के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की संस्थापना के माध्यम से किया जाएगा।
- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के विभिन्न पहलुओं पर आवधिक रूप से जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।
- चूंकि भूजल पीने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रमुख स्रोत है और चूंकि भूजल की अधिक गहराई से इसकी गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा भूजल पुनर्भरण और जल संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए जा रहे हैं, जिनसे भूजल स्तर में सुधार होने की संभावना है। ऐसे कुछ कार्यक्रम जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर मिशन, मनरेगा, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी आदि हैं।

अनुलग्नक-I

"पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उतर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1551 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

वर्ष 2023 के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक ईसी, नाइट्रेट और फ्लोराइड की राज्य-वार स्थिति

राज्य	विक्षेपण किए गए नमूनों की संख्या	ईसी > 3000 म्यूएस/सेमी. वाले नमूनों का %	फ्लोराइड > 1.5 मि.ग्रा./ली. वाले नमूनों का %	नाइट्रेट > 45 मि.ग्रा./ली. वाले नमूनों का %
बिहार	808	0.9	4.58	2.35
उत्तर प्रदेश	1387	2.7	5.70	9.37
पश्चिम बंगाल	959	0.8	0.73	8.65

अनुलग्नक-II

"पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के भूजल में गंभीर प्रदूषण" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उतर दिए जाने वाले अतारंकित प्रश्न संख्या 1551 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विभिन्न भूजल गुणवत्ता मानकों से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों की संख्या का वर्षवार विवरण

*वर्ष	ईसी द्वारा आंशिक रूप से प्रभावित जिले	फ्लोराइड से आंशिक रूप से प्रभावित जिले	नाइट्रेट से आंशिक रूप से प्रभावित जिले
2017	198	207	359
2018	198	212	323
2019	172	226	352
2020	90	131	223
2021	119	142	257
2022	184	213	419
2023	218	263	443

*राष्ट्रव्यापी डेटा का पूर्ण संकलन वर्ष 2017 से उपलब्ध है

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1538
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राप्ती नदी के कारण बाढ़

1538. श्री राम शिरोमणि वर्मा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने लगभग प्रतिवर्ष राप्ती नदी में बार-बार अपने वाली बाढ़ और उसके परिणामस्वरूप जान-माल की क्षति के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) बाढ़ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
- (ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों सहित राप्ती नदी के तट पर स्थित श्रावस्ती संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और बलरामपुर जिले में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की क्षति का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राप्ती नदी के दोनों किनारों पर बांधों की ऊंचाई बढ़ाने और नए बांधों का निर्माण करने का विचार है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन एवं कटान रोधी परियोजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार एवं क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। राज्य द्वारा राप्ती नदी पर तटबंधों का निर्माण कर बाढ़ बचाव कार्य कराया जा रहा है। राज्य द्वारा श्रावस्ती जिले में राप्ती नदी के दाएं/बाएं तट पर 65.00 किमी लम्बा तटबंध बनाया गया है। राज्य द्वारा गंडक संगठन के अंतर्गत बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, संतकबीरनगर एवं देवरिया जिलों में राप्ती नदी के दाएं/बाएं तट पर कुल 824.207 किमी लम्बाई का तटबंध बनाया गया है।

बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए

राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 तक की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे मार्च, 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। सरकार ने एफएमबीएपी के अंतर्गत इसकी स्थापना के बाद से बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 692.75 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी है।

बाढ़ प्रबंधन के एक गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) चिन्हित स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को बाढ़ का पूर्वानुमान जारी करता है। उत्तर प्रदेश में कुल 44 (5 इनफ्लो और 39 लेवल) बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशन हैं। मुख्य राप्ती नदी पर 4 लेवल पूर्वानुमान स्टेशन हैं, जिनके नाम हैं बलरामपुर, बांसी, गोरखपुर और काकरधारी। चौबीस घंटे तक के लीड टाइम के साथ बाढ़ पूर्वानुमान के अलावा, सीडब्ल्यूसी वर्षा-अपवाह गणितीय मॉडलिंग के आधार पर सात दिवसीय परामर्शी बाढ़ पूर्वानुमान भी प्रदान कर रहा है।

(ग): राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राप्ती नदी के किनारे स्थित जिलों में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की क्षति का विवरण अनुलग्नक पर दिया गया है।

(घ) और (ङ): राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राप्ती नदी के दोनों किनारों पर बांधों की ऊंचाई बढ़ाने तथा नये बांध बनाने का प्रस्ताव नहीं किया है।

"राप्ती नदी के कारण बाढ़" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1538 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राप्ती नदी के किनारे स्थित जिलों में क्षति का ब्यौरा						
क्र.सं.	जिले	वर्ष	मानव क्षति	पशु धन की क्षति	क्षतिग्रस्त घर	फसल की क्षति (हेक्टेयर)
1	श्रावस्ती	2021-2022	1	2	9	4640
		2022-2023	4	3	1321	42109
		2023-2024	4	1	24	0
		2024-2025	4	1	123	16480
2	बलरामपुर	2021-2022	3	0	42	20020
		2022-2023	11	4	1449	79390
		2023-2024	0	0	0	1
		2024-2025	4	4	164	23370
3	सिद्धार्थ नगर	2021-2022	3	0	0	0
		2022-2023	11	2	327	29641
		2023-2024	3	0	406	51383
		2024-2025	3	0	23	23294.34
4	महराजगंज	2021-2022	0	0	1282	24387.28
		2022-2023	0	0	0	1873.38
		2023-2024	0	0	0	0
		2024-2025	0	1	681	0
5	संतकबीर नगर	2021-2022	6	0	49	1364.00
		2022-2023	3	1	33	255.25
		2023-2024	14	0	17	0
		2024-2025	0	0	0	140
6	गोरखपुर	2021-2022	14	0	0	64720
		2022-2023	1	0	0	28096
		2023-2024	0	1	0	10537
		2024-2025	0	0	0	2782.79
7	देवरिया	2021-2022	2	0	149	7030.261
		2022-2023	0	0	0	1077.84
		2023-2024	0	0	0	0
		2024-2025	0	0	0	0

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1536
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....
उत्तर प्रदेश में जल स्रोतों में प्रदूषण

1536. श्री हरेन्द्र सिंह मलिक:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) मुजफ्फरनगर जिले सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषण से जल स्रोतों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
- (ख) खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए औद्योगिक इकाइयों के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं तथा अनुपालन न किए जाने की स्थिति में इन पर कार्रवाई की प्रक्रिया क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री **श्री राज भूषण चौधरी**

(क): मुजफ्फरनगर सहित उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल प्रदूषण करने वाले उद्योगों का नियमित रूप से निरीक्षण करता है।

- उपरोक्त के अलावा, नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा अधिकृत तकनीकी संस्थानों जैसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बंबई, केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान संस्थान (सीपीपीआरआई) सहारनपुर, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान (एनएसआई) कानपुर, वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआई) पुणे, आईआईटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) वाराणसी, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एमयू) अलीगढ़ द्वारा अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों के थर्ड-पार्टी निरीक्षण किये जाते हैं।
- इसके अलावा, अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों के संबंध में अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) के आउटलेट पर एक ऑनलाइन निरंतर अपशिष्ट निगरानी प्रणाली स्थापित की जाती है, जिसके माध्यम से केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) द्वारा उद्योगों की ऑनलाइन निगरानी भी की जाती है।

(ख): उद्योग को खतरनाक अपशिष्टों के प्रबंधन और उनके सुरक्षित निपटान के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक अधिकृत पत्र प्राप्त करना होता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तकनीकी क्षमताओं और उपकरणों की मानक संचालन प्रक्रियाओं या सीपीसीबी द्वारा निर्दिष्ट अन्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही यह अधिकृत-पत्र प्रदान किया जाता है। ऐसे उद्योग जो खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं/उनको हैंडल करते हैं, उन्हें उपर्युक्त अधिकृत पत्र प्रदान किया जाता है तथा सामान्य उपचार भंडारण तथा निपटान सुविधा के द्वारा खतरनाक अपशिष्टों के सुरक्षित निपटान हेतु बनाई उपर्युक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार उनके निपटान स्थल चिह्नित किए जाते हैं। इकाइयों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम 2016 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहे हैं। अनुपालन न होने की स्थिति में, उन्हें नोटिस/कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि भी लगाई जाती है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1523
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

ब्रह्मपुत्र बोर्ड

1523. श्री राजू बिष्ट:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दार्जिलिंग पहाड़ियां, तराई और दुआर तथा तीस्ता-रंगीत जलग्रहण क्षेत्र ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा अक्टूबर, 2023 की तीस्ता बाढ़ के प्रभावों की जांच और अध्ययन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) तीस्ता नदी बेसिन के लिए ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा शुरू किए गए बाढ़ रोकथाम अथवा प्रबंधन उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जी हां, ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में सिक्किम सहित सभी पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल का एक हिस्सा (कूचबिहार, जलपाईगुडी, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिले) आता है।

(ख): अक्टूबर 2023 की बाढ़ के मद्देनजर सिक्किम में तीस्ता नदी में रूपात्मक परिवर्तनों पर अध्ययन करने, नुकसान की मात्रा का आकलन करने और उपचारात्मक उपायों, संसाधनों और विशेषज्ञ सिफारिश के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डीओडब्ल्यूआर, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है।

उपरोक्त के अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राष्ट्रीय जीएलओएफ (ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़) जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम, एक रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य ग्लेशियल झील विस्फोट से आने वाले बाढ़ से जुड़े जोखिमों को कम करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अतिसंवेदनशील हैं। इस समय, गृह मंत्रालय की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) द्वारा राष्ट्रीय जीएलओएफ जोखिम शमन कार्यक्रम के अंतर्गत

चार राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश (35 करोड़ रुपये), उत्तराखंड (30 करोड़ रुपये), सिक्किम (40 करोड़ रुपये) और अरुणाचल प्रदेश (45 करोड़ रुपये) में जीएलओएफ के जोखिम को कम करने के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि को मंजूरी दी गई है।

(ग): वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा तीस्ता नदी बेसिन के लिए बाढ़ शमन/प्रबंधन के लिए निम्नलिखित दो उपाय किए गए हैं।

(i) बाढ़ और कटाव प्रबंधन, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जलग्रहण क्षेत्र उपचार सहित क्षेत्र में जल संसाधनों के सतत विकास और उपयोग के लिए तीस्ता नदी उप-बेसिन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करना।

(ii) पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में भोटबारी तटबंध से ओरान बीएसएफ कैंप तक तीस्ता नदी के बाएं किनारे पर सुरक्षा कार्य में सुधार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1513
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में भूजल स्तर

1513. श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों के दौरान भूजल स्तर के आंकड़ों का जिलावार ब्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई/की जा रही पहलों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या पानी में प्रदूषण कृषि पद्धियों, जिसमें उर्वरकों का उपयोग शामिल हैं, के कारण होता है और पानी की गुणवत्ता प्रभावित होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा अन्य स्रोतों से प्रदूषण को कम करने के लिए, विशेष रूप से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक जैसे गंभीर रूप से प्रभावित राज्यों में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?
- (ङ) जल स्तर मापने के लिए डिजिटल उपकरणों के उपयोग सहित भूजल निगरानी नेटवर्क के विस्तार में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने मानीटरिंग कुओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक वर्ष में चार बार बोडो भूमि, प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) सहित क्षेत्रीय स्तर पर देश भर में भूमि जल स्तर की मानीटरिंग करता है।

बोडोलैंड भू-भागीय क्षेत्र के संबंध में पिछले पांच वर्षों (2020-2024) की अवधि के लिए मापे गए जिलेवार भूजल स्तर का उल्लेख अनुलग्नक में दिया गया है। आंकड़ों के अवलोकन से पता चलता है कि पिछले 5 वर्षों में बोडोलैंड क्षेत्र में भूजल स्तर वर्ष 2024 को छोड़कर, विश्लेषण किए गए लगभग 100% कुओं में 0-10 एमबीजीएल (जमीनी स्तर से नीचे मीटर) के बीच रहा है, जो भूजल तक पहुंचना सुगम बनाता है।

(ख): जल राज्य का विषय होने के कारण भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी विभिन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में, देश में भूजल संसाधनों के सतत विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं: -

- i. सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) लागू कर रही है जो वर्षा संचयन और जल संरक्षण गतिविधियों के लिए एक मिशन मोड और समयबद्ध कार्यक्रम है। वर्तमान में, देश में जेएसए वर्ष 2024 को लागू किया जा रहा है, जिसमें बीटीआर में बक्सा और उदलगुडी जिलों सहित देश के 151 जल की कमी वाले जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जेएसए एक संयुक्त अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण संबंधी कार्य किए जा रहे हैं।
- ii. इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी ने असम राज्य में लगभग 61,826 वर्ग किमी सहित देश भर में लगभग 25 लाख वर्ग किमी मैप करने योग्य क्षेत्र का राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) परियोजना भी पूरी कर ली है। बोडोलैंड क्षेत्र सहित सभी जिलों के लिए जलभृत मानचित्र और प्रबंधन योजनाएं तैयार की गई हैं और कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य एजेंसियों के साथ साझा किया गया है। एनएक्यूआईएम के तहत तैयार की गई जलभृत प्रबंधन योजनाओं में आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष दोनों हस्तक्षेपों का प्रस्ताव है।
- iii. सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है, जिसमें अनुमानित लागत के साथ लगभग 185 बिलियन क्यूबिक मीटर (बीसीएम) जल के दोहन के लिए देश में लगभग 1.42 करोड़ वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान की गई है।
- iv. कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एवं एफडब्ल्यू), भारत सरकार, वर्ष 2015-16 से असम सहित देश में प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना लागू कर रहा है इस स्कीम में सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और उपलब्ध जल संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, असम में 44,356 हेक्टेयर क्षेत्र को स्कीम के अंतर्गत कुशल सिंचाई पद्धतियों के अंतर्गत शामिल किया गया है।
- v. मिशन अमृत सरोवर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य असम सहित देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और जीर्णोद्धार करना

था। परिणामस्वरूप, देश में लगभग 69,000 अमृत सरोवर का निर्माण/ जीर्णोद्धार किया गया है, जिनमें से 2,966 असम में (379 बोडोलैंड क्षेत्र में) हैं।

- vi. देश में भूजल विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण के उद्देश्य से जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) का गठन किया गया है। देश में भूजल की निकासी सह उपयोग को सीजीडब्ल्यूए द्वारा अपने दिनांक 24.09.2020 के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार एनओसी जारी करके विनियमित किया जाता है, जिनकी अखिल भारतीय प्रयोज्यता है।

(ग): यह समझा जाता है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग जैसी विभिन्न कृषि पद्धतियों से भू-जल में रासायनिक अवशेषों के घुलने के कारण उसमें संदूषण होता है विशेषकर नाइट्रेट का। अन्य मानवीय गतिविधियों जैसे अनुचित ग्रे वाटर प्रबंधन, खुले में शौच आदि को भी भूजल संदूषण का कारण माना जाता है।

(घ): जल राज्य का विषय होने के बावजूद, भूजल संदूषण को कम करने की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे सीजीडब्ल्यूबी द्वारा नियमित गुणवत्ता मानीटरिंग और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ डेटा साझा करना, आर्सेनिक और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं का निर्माण करना और प्रौद्योगिकी का प्रसार, जल आदि में प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा जल (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन आदि।

लेकिन दूषित जल के प्रतिकूल प्रभावों से देश की पूरी आबादी को बचाने के लिए प्रमुख उपाय, सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) – हर घर जल के कार्यान्वयन के माध्यम से एक श्रेष्ठ पहल के रूप में प्रदान किया गया है। जेजेएम अगस्त 2019 से राजस्थान, पंजाब और कर्नाटक राज्यों सहित देश में कार्यान्वित है, ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल से जल की आपूर्ति का प्रावधान किया जा सके। जल जीवन मिशन के तहत, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस मानकों को नल जल सेवा प्रदायगी की गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानदंडों के रूप में अपनाया गया है और जेजेएम दिशानिर्देशों में यह भी निर्धारित किया गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों से प्रभावित स्थानों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाए।

(ड): सीजीडब्ल्यूबी वर्तमान में लगभग 27,000 स्टेशनों के माध्यम से भूजल स्तर और लगभग 17,000 स्टेशनों के माध्यम से गुणवत्ता की मानीटरिंग कर रहा है। तथापि, वास्तविक समय आधार पर भूजल के संबंध में उच्च बारंबारता आंकड़े रखने के महत्व को महसूस करते हुए, इस मंत्रालय ने भूजल प्रबंधन और विनियमन (जीडब्ल्यूएम एंड आर) योजना, अटल भूजल योजना आदि जैसी अपनी विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के तहत पूरे देश में टेलीमेट्री सिस्टम के साथ डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्डर (डीडब्ल्यूएलआर) स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) के अंतर्गत उक्त कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकारों को भी वित्तपोषित किया जाता है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत देश भर में अब तक लगभग 24,000 डीडब्ल्यूएलआर स्थापित किए गए हैं जो भूजल संबन्धित वास्तविक समय डेटा प्रदान करता है।

अनुलग्नक

"बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में भूजल स्तर" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1513 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र में पिछले पांच वर्षों (2020-2024) की अवधि के लिए मापा गया जिलावार भूजल स्तर

मानसून 2024 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्सा	17	2	11.8	7	41.2	4	23.5	4	23.5	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	7	3	42.9	3	42.9	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	9	3	33.3	6	66.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	19	11	57.9	6	31.6	2	10.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	52	19	36.5	22	42.3	7	13.5	4	7.7	0	0.0	0	0.0

मानसून 2023 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्सा	6	2	33.3	3	50.0	1	16.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	7	1	14.3	5	71.4	1	14.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	11	0	0.0	11	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	24	9	37.5	12	50.0	3	12.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	48	12	25.0	31	64.6	5	10.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

मानसून 2022 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र.सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
---------	-------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	कुओं की संख्या	0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्स	6		1	16.7	4	66.7	1	16.7	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	5		0	0.0	4	80.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	12		0	0.0	11	91.7	1	8.3	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	15		8	53.3	6	40.0	1	6.7	0	0.0	0	0.0
	कुल	38		9	23.7	25	65.8	4	10.5	0	0.0	0	0.0

मानसून 2021 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की गहराई का प्रतिशत

क्र. सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्स	3	2	66.7	1	33.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	4	0	0.0	4	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	9	0	0.0	8	88.9	1	11.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	13	6	46.2	7	53.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	29	8	27.6	20	69.0	1	3.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0

मानसून 2020 के बाद अवलोकन कुओं के जल स्तर वितरण की का गहराई प्रतिशत

क्र. सं.	जिला का नाम	विक्षेपित कुओं की संख्या	विभिन्न रेंज में जल स्तर की गहराई (एमबीजीएल) को दर्शाता कुओं की संख्या/प्रतिशत											
			0 से 2		2 से 5		5 से 10		10 से 20		20 से 40		> 40	
			सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%	सं.	%
1	बक्स	2	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
2	चिरांग	2	0	0.0	2	100.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
3	कोकराझार	5	1	20.0	3	60.0	1	20.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
4	उदलगुरी	10	5	50.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	कुल	19	8	42.1	10	52.6	1	5.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1511
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

तमिलनाडु में जल शक्ति केंद्र

1511. श्री थरानिवेंथन एम. एस.:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अरणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में स्थापित जल शक्ति केंद्रों की संख्या कितनी है;
- (ख) जल शक्ति केंद्रों के मुख्य उद्देश्य और उनके द्वारा जनता को प्रदान की जा रही सेवाएं क्या हैं;
- (ग) उक्त केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है;
- (घ) वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) उक्त केंद्रों का उनके क्षेत्रों में जल संरक्षण, प्रबंधन और पहुंच का क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के तहत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तमिलनाडु के सभी जिलों सहित देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जेएसए: सीटीआर पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) पर अपलोड की गई जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के सभी 38 जिलों में जेएसके स्थापित किए गए हैं, जिनमें अरणी निर्वाचन क्षेत्र के विलुप्पुरम और तिरुवन्नामलाई जिले भी शामिल हैं।

(ख): जल शक्ति केंद्र (जेएसके) समर्पित संसाधन और ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं, जो जल संरक्षण प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे जल-संबंधी मुद्दों पर व्यापक जानकारी प्रदान कर रहे हैं, जिसमें जल संरक्षण में सर्वोत्तम प्रथाएं और प्रभावी जल-बचत तकनीकें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, जेएसके स्थानीय समुदायों और जिला प्रशासन को विशेषज्ञ मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिससे प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियाँ सफल होती हैं।

(ग): जल शक्ति मंत्रालय की ओर से इन केन्द्रों की स्थापना और संचालन के लिए राज्यों को कोई अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। इनका संचालन मानव और बुनियादी ढांचे दोनों के संसाधनों को मिलाकर किया जाता है। हालांकि, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों से क्रमशः पाली, यादगीर, ठाणे और पुणे को 5-5 लाख रुपये का एकमुश्त पायलट अनुदान जारी किया गया था।

(घ): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) के हिस्से के रूप में, जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से हर जिले में जल शक्ति केंद्र (जेएसके) स्थापित करने का अनुरोध किया गया है, ताकि वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों सहित एक व्यापक कवरेज सुनिश्चित हो सके। सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई सलाह के अनुसार, जेएसके को संस्थागत संरचनाओं में स्थापित किया जाना अपेक्षित है ताकि वे जो जनता के लिए खुले तौर पर और आसानी से सुलभ हों, और 24x7 संचालित हों। आदर्श रूप से, ये केंद्र जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय या अन्य स्थानों पर स्थित होने चाहिए जहाँ लोगों की आवाजाही अधिक हो। जिला प्रशासनों को केंद्रीय और अच्छी तरह से जुड़े स्थानों का चयन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों के निवासी आसानी से केंद्रों तक पहुँच सकें।

(ङ.): जल शक्ति केंद्र (जेएसके) गतिशील संसाधन और ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जो जल संरक्षण, प्रबंधन और पहुंच में परिवर्तनकारी बदलाव लाते हैं। इसके अलावा, जेएसके जिले के भीतर सभी जल-संबंधी गतिविधियों के समन्वय में जिला मजिस्ट्रेट (डीएम)/कलेक्टरों की सहायता करते हैं। वे जल-संबंधी मुद्दों की योजना बनाने, तैयारी करने और उनका समाधान करने के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्र के रूप में, जेएसके जल संरक्षण विधियों, जल उपयोग दक्षता, भूजल नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता और ग्रेवाटर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी का प्रसार करते हैं। वे तकनीकी मार्गदर्शन केंद्र के रूप में भी काम करते हैं, और संबंधित मामलों पर स्थानीय समुदायों को सलाह और सहायता प्रदान करते हैं।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1507
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

बिहार में बाढ़ प्रबंधन हेतु परियोजना

1507. श्री कौशलेन्द्र कुमार:
श्री रामप्रीत मंडल:
श्रीमती लवली आनंद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का बिहार में बाढ़ प्रबंधन के लिए कोई व्यापक परियोजना तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या बिहार राज्य सरकार ने बाढ़ प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार से 1300 करोड़ रुपये की विशेष सहायता मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या बिहार राज्य सरकार ने भी नेपाल सरकार के सहयोग से ऊंचे बांध बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए मंत्रालय ने नदी प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, कटाव रोधी, जल निकासी विकास, समुद्र कटाव रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और मार्च, 2026 तक आगे बढ़ाया गया। ग्यारहवीं योजना से लेकर आज तक एफएमपी घटक के तहत बिहार को कुल 1624 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई है। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने सूचित किया कि हाल ही में राज्य ने बिहार की गंगा, कोसी, गंडक और बागमती नदियों पर लगभग 6198.68 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कुल 21 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत की हैं।

राज्य द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने दिनांक 20.01.2025 को बिहार सरकार के वित्त विभाग से बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं के लिए 1122.64 करोड़ रुपये की विशेष सहायता की मांग की है।

(ग) और (घ): दिसंबर, 1991 में, भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच सप्तकोसी उच्च बांध बहुउद्देशीय परियोजना (जिसे अब सप्त-कोसी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया है) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) संयुक्त रूप से तैयार करने के लिए सहमति बनी थी। विस्तृत जांच/ कार्य क्षेत्र तैयार करने और एक संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए अगस्त 2004 में नेपाल के विराट नगर में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय - सप्त-कोसी सन-कोसी जांच (जेपीओ-एसकेएसकेआई) की स्थापना की गई थी। जेपीओ-एसकेएसकेआई ने स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, निर्माण सामग्री सर्वेक्षण, भूकंपीय अध्ययन आदि से संबंधित क्षेत्रीय कार्य पूरा कर लिया है। डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्यों की प्रगति की निगरानी दोनों देशों के स्थापित द्विपक्षीय तंत्र के माध्यम से की जाती है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1506
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

हर खेत को पानी योजना के तहत उपलब्धियां

1506. श्री अरुण भारती:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हर खेत को पानी (एचकेकेपी) के उप-घटकों के तहत हासिल की गई उपलब्धियां, जिनमें कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी एवं डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर) और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास शामिल हैं;
- (ख) सिंचित क्षेत्र को बढ़ाने, जल उपयोग दक्षता में सुधार और कृषि में टिकाऊ जल संरक्षण प्रथाओं को बढ़ाने पर पीएमकेएसवाई का समग्र प्रभाव क्या है;
- (ग) क्या सरकार के पास भूजल प्रबंधन में उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए भूजल विकास घटक को आगे बढ़ाने या संशोधित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) के तहत चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास में उनके अपेक्षित योगदान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत तक पानी की भौतिक पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना आदि है।

पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, अर्थात् त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। एचकेकेपी में चार उप-घटक शामिल हैं: कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (सीएडी और डब्ल्यूएम), सतही लघु सिंचाई (एसएमआई), जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली (आरआरआर), और भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ-साथ कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी

अंतिम रूप से 2021-22 तक केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा होने तक बढ़ा दिया गया है।

इसके अलावा, पीएमकेएसवाई में दो घटक शामिल हैं, जिन्हें अन्य मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) को ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूमि संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) घटक, 2015 में पीएमकेएसवाई की शुरुआत से दिसंबर, 2021 तक पीएमकेएसवाई का एक हिस्सा था। इसके बाद, इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के एक हिस्से के रूप में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

एचकेकेपी के विभिन्न उप-घटकों की उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं:

क्रम सं.	एचकेकेपी का घटक	मार्च, 2024 तक की उपलब्धियाँ
1.	सीएडी और डब्लूएम	19.28 लाख हेक्टेयर का कमांड क्षेत्र विकसित किया गया है।
2.	एसएमआई और आरआरआर	4.64 लाख हेक्टेयर का निर्माण/पुनर्स्थापन किया गया है और 191.28 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल के भंडारण व पुनर्जीवित किया गया है।
3.	जीडब्ल्यू	88,547 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

एचकेकेपी के उपरोक्त घटकों के अलावा, पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 26.27 लाख हेक्टेयर नई सिंचाई क्षमता भी सृजित की गई है, पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के अंतर्गत बेहतर जल उपयोग दक्षता के लिए सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 95.58 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है और मार्च, 2024 तक वाटरशेड विकास के माध्यम से पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के अंतर्गत 9.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षात्मक सिंचाई के अंतर्गत लाया गया है।

(घ) पीएमकेएसवाई-एआईबीपी परियोजनाओं को सफलता से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय में उच्चतम स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी की जाती है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की परियोजनावार आवधिक समीक्षा करते हैं और मुद्दों के शीघ्र समाधान के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों को अंतिम रूप दिया जाता है। इन परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी एक समर्पित डैशबोर्ड के माध्यम से भी की जाती है, जिसे जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा सृजित एक प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा अनुरक्षित किया जाता है।

दो पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत बिहार की दुर्गावती सिंचाई परियोजना और पुनपुन सिंचाई परियोजना नामक दो परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं में 37,270 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से मार्च, 2024 तक 26,670 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की जा चुकी है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1504
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदी विनियमन क्षेत्र नीति

1504. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटील:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ड्राफ्ट नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरजेड) नीति की वर्तमान स्थिति और इसे अंतिम रूप देने और कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा क्या है;
- (ख) राज्य सरकारों, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय समुदायों के इनपुट सहित ड्राफ्ट आरआरजेड नीति को विकसित करने में हितधारक परामर्श की सीमा क्या है;
- (ग) नदी के बाढ़ क्षेत्रों में अतिक्रमण और प्रदूषण को रोकने के लिए नीति में क्या उपाय शामिल हैं;
- (घ) आरआरजेड नियमों को लागू करने में राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों की भूमिका क्या है; और
- (ङ) मौजूदा पर्यावरण नियमों और नदी संरक्षण कार्यक्रमों के साथ आरआरजेड नीति को एकीकृत करने की क्या योजना है, यदि कोई हो है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ङ): नदी संरक्षण/विनियमन ज़ोन की पहचान करते हुए नदियों को विनियमित करने का प्राथमिक उद्देश्य, बाढ़ के मैदानों को संरक्षित करना और नदी के किनारों पर चलाए जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर नियम लागू करना होता है। भूमि और जल, दोनों राज्य के विषय हैं, इसलिए यह मुख्य रूप से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मुख्य दायित्व है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर आने वाली नदियों के विनियमन के लिए सक्रिय कदम उठाएं।

भारत सरकार द्वारा गंगा बेसिन की नदियों/उपनदियों में प्रदूषण कम करने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम की केंद्रीय क्षेत्र योजना द्वारा और देश में अन्य नदियों के लिए राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केंद्रीय प्रायोजित योजना द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके संपूरित किया जा रहा है।

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत एक ड्राफ्ट नदी विनियमन क्षेत्र (आरआरज़ेड) तैयार किया और इसे सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिनांक 08.01.2016 को परिचारित किया है। यह अधिसूचना, नदी संरक्षण क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित, सीमित और विनियमित करती है ताकि देश में नदी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके। इस संबंध में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को कुछ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं।

भारत सरकार द्वारा राजपत्रित अधिसूचना एस.ओ. 1972 (ई) दिनांक 14.06.2019 द्वारा कार्य आवंटन नियमों में किए गए संशोधन के अनुसार, नदी के विनियमन क्षेत्र (आरआरज़ेड) को विकसित करके बाढ़ के मैदानों सहित नदी तटों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों को जारी करने से जुड़े कार्य को अब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संभाला जा रहा है।

इस उद्देश्य से, केंद्रीय जल आयोग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय ने बाढ़ मैदान क्षेत्र के लिए तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए हैं और उन्हें राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को परिचारित किया है। जिससे कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को बाढ़ मैदान क्षेत्र का कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके और फ्लड प्लेन जोनिंग हेतु केंद्रीय सहायता एवं समर्थन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्र के कार्य में प्रगति किए जाने पर निर्भर होती है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1482
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

असम में भूजल में आर्सेनिक का स्तर

1482. श्री गौरव गोगोई:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है क असम के 19 जिलों में 0.01 मलीग्राम/लीटर से अधिक आर्सेनिक का स्तर पाया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा प्रभावी शमन एवं उपचारात्मक उपायों को लागू करने के लए क्या प्रयास कए गए हैं/कए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार ने आर्सेनिक से प्रभावित उक्त क्षेत्रों में दुष्परिणामों का मूल्यांकन करने के लए कोई स्वास्थ्य प्रभाव आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) सरकार द्वारा आर्सेनिक से प्रभावित होने के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने तथा सुरक्षित पेयजल प्रचलनों को बढ़ावा देने के लए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) भविष्य में असम में भूजल स्रोतों में आर्सेनिक संदूषण को रोकने के लए वचाराधीन दीर्घकालक रणनीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) अपने भूजल गुणवत्ता मानीटरिंग कार्यक्रम और व भन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के भाग के रूप में क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आंकड़े तैयार करता है। सीजीडब्ल्यूबी द्वारा तैयार कए गए प्री-मॉनसून, 2024 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, असम के 9 जिलों अर्थात बारपेटा, गोलपाड़ा, गोलाघाट, कार्बी-आंगलॉंग, कोकराझार, लखीमपुर, शिवसागर, नलबाड़ी और करीमगंज के अलग-अलग इलाकों में निर्धारित सीमा से अधिक भूजल में आर्सेनिक की मौजूदगी की सूचना मली है।

जल राज्य का वषय होने के कारण गुणवत्ता पहलू सहित भूजल संसाधनों का सतत विकास और प्रबंधन मुख्यतः राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार अपनी व भन्न स्कीमों और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वतीय सहायता के रूप में असम सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को सुगम बनाती है। इस दिशा में जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं:-

- सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता संबंधी आंकड़े रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं और आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए इन्हें संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता पर ज्ञान के प्रसार में और तेजी लाने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी ने अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और पाक्षक अलर्ट जारी करता है ताकि सूचित क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई शुरू की जा सके।
- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मान चरण कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत भूजल में वर्षा पदार्थों द्वारा संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी संदूषण मुक्त जलभृतों के दोहन के लिए नवीन सीमेंट सीलिंग प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का सफलतापूर्वक निर्माण कर रहा है और फ्लोराइड सुरक्षित कुओं के निर्माण में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।
- सीपीसीबी ने लघु उद्योगों के क्लस्टर के लिए साझा बहिस्त्राव उपचार संयंत्रों (सीईटीपी) की स्थापना; बहिस्त्राव की गुणवत्ता आदि के संबंध में वास्तविक समय पर सूचना प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों द्वारा ऑनलाइन सतत बहिस्त्राव निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना के माध्यम से मुख्य बिंदु स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए जल प्रदूषण पर एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है, जिसके मुख्य घटक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित अपशिष्टों के निर्वहन के लिए उद्योग व शष्ट मानकों और सामान्य मानकों का विकास कर रहे हैं।
- भारत सरकार, राज्यों के साथ साझेदारी में, अगस्त, 2019 से जल जीवन मशन (जेजेएम) को लागू कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को निर्धारित गुणवत्ता और नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल के जल की आपूर्ति प्रदान की जा सके। जेजेएम के तहत, घरों में नल से जल की आपूर्ति प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाते समय, गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता दी जाती है। कभी-कभी वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन करते समय, रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित स्थानों में रहने वाली आबादी को 10% महत्व दिया जाता है।
- सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग सहित भूजल के वृद्धि पहलुओं पर अधिक रूप से जागरूकता सृजन कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

(ग): पीने के उद्देश्य के लिए आर्सेनिक, फ्लोराइड, भारी धातुओं आदि का अनुमेय सीमा से अधिक मात्रा में लंबे समय तक उपयोग करने से स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, आर्सेनिक के उद्भासन से त्वचा पर घाव, कैंसर, बच्चों में हृदयवाहिका रोग और विकासात्मक प्रभाव हो सकते हैं।

(घ): आर्सेनिक प्रभाव के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई उपाय शुरू किए गए हैं। सबसे पहले, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा "भारत में आर्सेनिकोसिस का पता लगाने, रोकथाम और प्रबंधन" के लिए तकनीकी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और स्वास्थ्य अधिकारियों और कार्यक्रम प्रबंधकों द्वारा उपयोग के लिए प्रभावित राज्यों के साथ साझा किए गए हैं। इनका उपयोग चकत्सा अधिकारियों, पराचकत्सा कार्यकर्ताओं आदि जैसे फ़िल्ड कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए भी किया जाना है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइटों पर दिशानिर्देश उपलब्ध हैं।

रोग के लक्षणों और आर्सेनिकोसिस की रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रभावित राज्यों के साथ सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी साझा की है। इसके अतिरिक्त, सीजीडब्ल्यूबी द्वारा किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों के प्रसार के लिए और आर्सेनिक जैसे वर्षा जल के तत्वों द्वारा संदूषण के मुद्दों सहित भूजल से संबंधित मुद्दों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर जन संपर्क कार्यक्रम (पीआईपी) आयोजित किया जाता है। अब तक सीजीडब्ल्यूबी ने देश भर में ऐसे 1518 कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

जल जीवन मशन के तहत पेय जल की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता को जमीनी स्तर तक ले जाने के लिए, "पेयजल गुणवत्ता मानीटरिंग और निगरानी फ्रेमवर्क" तैयार किया गया था और अक्टूबर 2021 में राज्यों को प्रसारित किया गया था। उपर्युक्त फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए देश में 2000 से अधिक जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त, फ़िल्ड टेस्ट किट (एफटीके) के माध्यम से जल के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से पांच व्यक्तियों, अधिमानतः महिलाओं की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है।

(ङ): भूजल का आर्सेनिक संदूषण मुख्यतः भू-जनित प्रकृति के रूप में जाना जाता है अर्थात् संदूषण अनुकूल परिस्थितियों में चट्टान और मृदा मैट्रिक्स के माध्यम से भूजल में आर्सेनिक युक्त यौगकों के घुलने के माध्यम से होता है। इस समस्या के लिए सबसे अच्छा दीर्घकालिक उपाय दूषित स्रोतों की पहचान करने के लिए नियमित गुणवत्ता परीक्षण, आर्सेनिक सुरक्षित जलभृतों का दोहन और पीने के लिए वैकल्पिक स्रोतों, विशेष रूप से सतही जल स्रोतों आदि पर स्विच करना माना जाता है। इस दिशा में, जेजेएम-हर घर जल एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

जेजेएम के तहत संचयी प्रयासों के परिणामस्वरूप, यह पाया गया है कि अगस्त 2019 से जनवरी 2025 तक देश में आर्सेनिक प्रभावित बस्तियों की संख्या 14,020 से घटकर 314 हो गई है। इन शेष बस्तियों को सामुदायिक जल शोधक संयंत्रों (सीडब्ल्यूपीपी) के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल भी प्रदान किया गया है। जेजेएम पोर्टल के अनुसार, असम में 81% ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है और जैसा कि सूचित किया गया है, आर्सेनिक से प्रभावित कोई भी बस्ती नहीं बची है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1481
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

जेएसए:सीटीआर के तहत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाएं

1481. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए:सीटीआर) पहल के तहत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय सुनिश्चित करने हेतु कार्यान्वित की गई/कार्यान्वित की जा रही विशिष्ट रणनीतियां क्या हैं;
- (ख) सरकार किस प्रकार स्थानीय समुदायों को उक्त पहल को लागू करने में शामिल करने की योजना बना रही है जिससे सतत जल प्रबंधन संबंधी प्रचलनों को बढ़ावा दिया जा सके और पुनर्भरण संरचनाओं का दीर्घकालिक रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके;
- (ग) सरकार द्वारा भूजल स्तर में सुधार के लिए कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए क्या उपाय किए गए/किए जा रहे हैं और उक्त परिणामों को भावी योजना में किस प्रकार एकीकृत किया जा रहा है;
- (घ) सरकार द्वारा उक्त अभियान के तहत प्रभावी कार्यान्वयन करने और जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय अधिकारियों और हितधारकों को प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और
- (ङ) कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए जीआईएस मैपिंग और ओईओटी-आधारित निगरानीजै सी प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए विशिष्ट प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जल राज्य का विषय है और केंद्र सरकार, कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के विनिर्माण सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए उनके प्रयासों को संपूरित करती है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन (जेएसए: सीटीआर) अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो मार्च से नवंबर तक वार्षिक आधार पर कार्यान्वित किया जाता है, यह अभियान में

जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण पर केन्द्रित होता है। इस अभियान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कनवर्जेंट वित्तपोषण और सक्रिय जन भागीदारी पर जोर दिया जाता है। सरकार ने कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करने, संसाधन अनुकूलन और संस्थागत समन्वय का लाभ उठाने वाली एक बहु-आयामी रणनीति कार्यान्वित की है। इस रणनीति का प्रमुख घटक समेकित संसाधन जुटाना है, जहां कई प्रमुख योजनाओं से निधियों को एकत्र किया जाता है जिससे सहयोग और इसके प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इन योजनाओं में अन्य विधियों के साथ-साथ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), प्रति बूंद अधिक फसल (प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) का एक घटक) और 15वां वित्त आयोग अनुदान की निधि शामिल रहती है। इससे जल संरक्षण प्रयासों में विभिन्न मंत्रालयों के वित्तीय और तकनीकी संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित होता है।

इस दृष्टिकोण को व्यापक बनाते हुए, जल संचयन जन भागीदारी पहल को माननीय प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में 6 सितंबर, 2024 को सूरत, गुजरात में शुरू किया गया था। जल संचयन जन भागीदारी का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण भारत में, एक मिलियन कम लागत वाली जल-पुनर्भरण संरचनाएं सृजित करना है, जिनमें वैज्ञानिक, तकनीक और पारंपरिक तरीकों के संयोजन का उपयोग किया जाता है। इस पहल में, स्थानीय समुदायों, उद्योगों, गैर-सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों को शामिल करते हुए सक्रिय भागीदारी और सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। यह एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल पर आधारित है जिसमें न केवल सरकारी योजनाओं से बल्कि उद्योग - कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर), मानव-सौहार्द, व्यक्तिगत दान-दाताओं, लोगों से धन जुटाना आदि जैसे तरीकों से धन जुटाया जाता है जिससे कि लोगों की भागीदारी, स्वामित्व और स्थिरता को सुनिश्चित किया जा सके। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार राज्यों के साथ ही मानव-सौहार्द और कॉर्पोरेट संस्थाएं, इस पहल के प्रति सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इससे जल सुरक्षा संबंधी मामलों के निपटान में एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। इस पहल की सफलता से प्रेरित होकर, राजस्थान सरकार ने एक "कर्मभूमि से मातृभूमि" योजना शुरू की है, जो लोगों को उनके मूल क्षेत्रों में जल संरक्षण में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करती है।

समन्वय को सुदृढ़ करने के लिए, प्रत्येक साझेदार मंत्रालय/विभाग में केंद्रीय मंत्रालयों के नोडल अधिकारियों (सीएमएनओ) को नामित किया गया है जिससे निरंतर अंतर-मंत्रालयी सहयोग को सुलभ बनाया जा सके। प्राथमिकताओं को संरेखित करने और समन्वय को बढ़ाने के लिए नियमित उच्च-स्तरीय बैठकें आयोजित की जाती हैं। इनमें सचिव स्तर की बैठकें और अपर-सचिव एवं राष्ट्रीय जल मिशन के मिशन निदेशक की अध्यक्षता वाली बैठकें शामिल रहती हैं जिससे इसके कार्यान्वयन की प्रगति को मॉनिटर किया जा सके और मंत्रालयों के बीच संरचित सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा मंत्रालयों को उनके संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से जल संरक्षण प्रयासों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, इससे

जल सुरक्षा की क्रॉस-सेक्टरल प्राथमिकता सुनिश्चित होती है। इसमें कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के कार्यान्वयन की पारस्परिक सीखों और अभिनव प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों की उत्कृष्ट प्रणालियों और सफल मॉडलों को साझा किया जाता है। इससे सरकार का समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता और जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के स्थायी और प्रभावशाली जल प्रबंधन समाधान सामने आते हैं, जो राष्ट्र की भूजल पुनर्भरण और दीर्घकालिक जल सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाती हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय जल आयोग के तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक जिले और नगर निगम में मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु नियुक्त किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय जल मिशन में केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के चार समर्पित अधिकारियों को राज्यों, मंत्रालयों, उद्योगों और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यान्वयन में सहयोग देने के लिए तैनात किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और तकनीकी एडवाइजरी दस्तावेज को राष्ट्रीय जल मिशन के सहयोग से तैयार किया गया है और उन्हें सभी स्तरों पर हितधारकों की सहायता के लिए जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है। इस पहल में जन-जागरूकता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) जैसे कार्यक्रम भी किए गए हैं।

(ग): सरकार ने जल संरक्षण संरचनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और मूल्यांकन के लिए जल शक्ति अभियान:कैच द रेन के अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं को शामिल करते हुए कई उपाय किए हैं जिसके कारण भूजल स्तर में सुधार हुआ है। केंद्रीय दलों को जिलों के क्षेत्रीय दौरे के लिए नियुक्त किया गया है जिससे कि जल शक्ति अभियान:कैच द रेन अभियान के कार्यान्वयन में लगे स्थानीय अधिकारियों के साथ सीधे-तौर पर बातचीत की जा सके। इन दलों में अपर-सचिव/संयुक्त सचिव/निदेशक/उप-सचिव रैंक के केंद्रीय नोडल अधिकारी और केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड जैसे प्रमुख जल-संबंधी संगठनों के तकनीकी अधिकारी होते हैं। इन फील्ड दौरों से जल संरक्षण कार्यक्रमों को कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का ऑन-ग्राउंड आकलन करने में मदद मिलती है और तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

इस अभियान की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति अभियान:कैच द रेन पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) विकसित किया गया है जो आंकड़ों को एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए केंद्रीय मंच है। यह पोर्टल कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं सहित जल संरक्षण प्रयासों की नियमित ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। जल शक्ति अभियान:कैच द रेन पोर्टल के माध्यम से फील्ड दौरों और आंकड़ों की निगरानी से प्राप्त अंतर्दृष्टियों से भावी जल संरक्षण प्रयासों की रणनीतियों को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसी तरह, जल संचय जन भागीदारी डैशबोर्ड, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो हितधारकों को प्रत्येक निर्मित पुनर्भरण संरचना की फोटो, जियो-टैगिंग और अन्य विवरणों के साथ ऑनबोर्ड करने के लिए प्रदान किया गया है। निगरानी को सुदृढ़ करने के लिए, जिला नोडल अधिकारियों के सहयोग से केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और केंद्रीय

जल आयोग के नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यान्वयन की निगरानी की जाती है जो समय पर अपडेट और आंकड़ों का सत्यापन सुनिश्चित करते हैं। इन नोडल अधिकारियों को आंकड़ों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए 1% पुनर्भरण संरचनाओं की परीक्षण जांच करने और संबंधित जिलों/निगमों/नोडल अधिकारियों के क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीय जल आयोग/केंद्रीय भूमि जल बोर्ड और जिलों/निगमों के क्षेत्रीय अधिकारियों के कार्यकलापों को सहयोग देने और निगरानी के लिए राष्ट्रीय जल मिशन में एक समर्पित सेल स्थापित किया गया है। केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड को कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण /नवीनीकरण के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत के सक्रिय भूजल संसाधनों का वार्षिक आकलन राज्य सरकारों और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के सहयोगात्मक प्रयास के माध्यम से किया जाता है। ये आवधिक आकलन भूजल पुनर्भरण, उपयोग के रुझानों और समग्र उपलब्धता के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जो जल संसाधन प्रबंधन में सूचित निर्णय लेने में मदद करते हैं। जिला और राज्य स्तर की समीक्षा प्रणाली के साथ ही क्षमता निर्माण पहलों से निरंतर निगरानी और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा किए गए भूजल संसाधनों का आकलन और निरंतर संरक्षण प्रयासों के कारण भूजल पुनर्भरण में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई है। टैंकों, तालाबों और जल संरक्षण संरचनाओं से होने वाला पुनर्भरण वर्ष 2017 में 13.98 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) से बढ़कर वर्ष 2024 में 25.34 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) हो गया, जो जल संरक्षण की सफलता को दर्शाता है। जबकि ऐसा सुधार राज्य और केंद्रीय सरकारों के प्रभावी कार्यकलापों को उजागर करते हैं, भूजल स्तर में सुधार कई कारकों से प्रभावित होता है, जिसमें वर्षा और जल प्रबंधन की कार्यनीति वाली प्रणालियां शामिल हैं।

(घ): जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे देश के सभी जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित करें। देश भर के 705 जिलों में जल शक्ति केंद्र स्थापित किए गए हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में, जल शक्ति केंद्रों में जल संरक्षण के तरीकों, जल उपयोग दक्षता, भूजल नीतियों, कुशल सिंचाई तकनीकों, जल गुणवत्ता और ग्रे वाटर प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी को प्रचारित करते हैं। ये केंद्र, स्थानीय समुदायों को इससे संबंधित मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करने के लिए तकनीकी मार्गदर्शन करने वाले केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं। इसके अलावा, वर्ष 2019 से अब तक, जल शक्ति अभियान: कैच द रेन अभियान के तहत 1,69,699 प्रशिक्षण कार्यक्रम/किसान मेलों का आयोजन किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल मिशन ने टेलीविजन पर 'जस्ट जूनियर' श्रृंखला के प्रसारण, 'मिशन लाइफ' के प्रचार आदि के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय जल मिशन ने जनता के बीच जागरूकता लाने के लिए 58 जल चर्चाएं, 46 जिला मजिस्ट्रेटों के साथ संवाद और विभिन्न प्रकार की अन्य कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने हमारे देश की दो सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनों, अर्थात् हिमसागर एक्सप्रेस और कामाख्या एक्सप्रेस की

विनाइल रैपिंग के लिए रेलवे मंत्रालय के साथ सहयोग किया। इन ट्रेनों ने जल संरक्षण, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी का महत्वपूर्ण संदेश दिया है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लोगों के बीच जल संरक्षण का संदेश को विस्तारित करने के लिए सूचना शिक्षा, संचार संबंधी कार्यक्रमों को संचालित किए जाते हैं। विभाग की सोशल मीडिया टीम नियमित रूप से जल संरक्षण संबंधी जानकारी की पोस्ट तैयार करती है और मंत्रालय के कार्यक्रमों/योजनाओं को विभाग के सोशल मीडिया हैंडल पर प्रमुखता देती है। इसके अलावा, मंत्रालय के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की प्रेस विज्ञप्ति भी नियमित रूप से प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) के साथ साझा की जाती है।

(ड): राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल शक्ति अभियान: कैच द रेन को कार्यान्वित किया गया है जिसके अंतर्गत कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के प्रभाव को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन के अंतर्गत किए जाने वाले प्रमुख कार्यों में जल निकायों की गणना, जियो-टैगिंग और सूची तैयार करना है जिससे वैज्ञानिक रूप से जल संरक्षण योजनाओं की तैयारी को सुविधाजनक बनाया जा सके। जिला मजिस्ट्रेटों और कलेक्टरों से अनुरोध किया गया है कि वे पुराने राजस्व रिकॉर्डों, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी से रिमोट सेंसिंग डेटा और भौगोलिक सूचना प्रणाली मानचित्रण तकनीक का उपयोग करते हुए जल निकायों की गणना करें, इसकी सीमाओं को चिह्नित करें, संरचनाओं की जियो-टैगिंग करें और राष्ट्रीय जल सूचना केंद्र तथा राज्य जल संसाधन सूचना प्रणालियों के आंकड़ों को एकत्र करें। इस दृष्टिकोण से वैज्ञानिक रूप से आंकड़ा-आधारित संरक्षण योजनाओं के विकास को सक्षम बनाया जाता है। जल शक्ति अभियान: कैच द रेन पोर्टल (jsactr.mowr.gov.in) के अनुसार, 619 जिलों ने पहले से ही ऐसी योजनाएं बना ली हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने भूजल प्रबंधन और विनियमन योजना के तहत राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूआईएम) कार्यक्रम कार्यान्वित किया है जिसमें लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के जलभृतों के मानचित्रण में जीआईएस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इन मानचित्रों से भूजल पुनर्भरण और सतत जल प्रबंधन में आवश्यक जल-भूवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि हासिल होती है।

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1595

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

फतेहपुर में सीवर लाइन/जल शोधन संयंत्र

1595. श्री. नरेश चंद्र उत्तम पटेल:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले जो गंगा और यमुना नदियों के बीच स्थित है, में सीवर लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है और जिला मुख्यालय फतेहपुर शहर में कोई सीवर लाइन नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या फतेहपुर जिले जहां नगर पालिका फतेहपुर और जिला मुख्यालय दोनों हैं और जिसकी आबादी लगभग पांच लाख है में कोई सीवर लाइन और जल शोधन संयंत्र नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार यहां सीवर लाइन और जल शोधन संयंत्र स्थापित करने पर विचार करेगी और यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है;
- (घ) उक्त कार्य की अनुमानित लागत कितनी है;
- (ङ.) क्या सरकार ने यह आकलन किया है कि फतेहपुर शहर के नालों का गंदा पानी शहर के चारों ओर जमा हो जाता है जिससे विभिन्न बीमारियां फैलती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (च): फतेहपुर नगर पालिका परिषद जिला मुख्यालय के लिए एक सीवरेज नेटवर्क योजना को अमृत 2.0 के तहत स्वीकृत किया गया है और इसके कार्य के दायरे में 293 करोड़ रुपये की लागत से 18 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का विनिर्माण और 123.40 कि.मी लम्बी सीवर लाइन बिछाना शामिल है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1520
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

नदियों को जोड़ने की योजना

1520. डॉ. राजकुमार सांगवान:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश भर में नदियों को जोड़ने की योजना अपने अंतिम चरण में है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त योजना की वर्तमान स्थिति और कार्यान्वयन का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के बागपत को क्या लाभ प्रदान किए जाएंगे; और
- (ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना के कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): वर्ष 1980 में, भारत सरकार ने जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण के लिए नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) के संबंध में एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की थी। इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को नदियों के परस्पर संयोजन का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने 30 लिंक परियोजनाओं की पहचान की गई है जिनमें दो घटक अर्थात् हिमालयी घटक (14 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर परियोजनाएं) परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 11 लिंक परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंकों की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और सभी 30 लिंकों की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) तैयार करने का कार्य पूरा किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में आईएलआर परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति और इन परियोजनाओं से होने वाले लाभों को अनुलग्नक में दिया गया है।

भारत सरकार, नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) कार्यक्रम को परामर्श के आधार पर आगे बढ़ा रही है और इस कार्यक्रम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है। पक्षकार राज्यों के बीच अपेक्षित सहमति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर भरसक प्रयास किए गए हैं जिससे परिपक्व आईएलआर परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा सके। आईएलआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सितंबर, 2014 में एक नदी संयोजन संबंधी विशिष्ट समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) का गठन किया गया था। अब तक, नदी संयोजन संबंधी विशेष समिति (स्पेशल कमेटी फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर) की 21 बैठकें हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, अप्रैल, 2015 में 'टॉस्क फोर्स फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर' का भी गठन किया गया है। इस टॉस्क फोर्स की अब तक, 20 बैठकें हो चुकी हैं। इन बैठकों में, राज्यों का व्यापक प्रतिनिधित्व और भागीदारी रहती है, जहां पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बनाने के समन्वित प्रयास किए जाते हैं और नदियों के परस्पर संयोजन की परियोजनाओं के कार्यान्वयन का

रोड मैप तैयार किए जाता है। हालांकि, यह पक्षकार राज्यों पर निर्भर करता है कि वे कैसे नदियों के परस्पर संयोजन (आईएलआर) परियोजना के कार्यान्वयन पर सहमति बनाते हैं।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत केन बेतवा लिंक परियोजना प्रथम ऐसी लिंक परियोजना है, जिसके कार्यान्वयन की शुरुआत, पक्षकार राज्यों के बीच सहमति बन जाने और मार्च 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात, तदनुसार भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2021 में परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दिए जाने के उपरांत किया गया था। इस परियोजना का उद्देश्य 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को वार्षिक सिंचाई प्रदान करना है, जिसमें मध्य प्रदेश में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तर प्रदेश में 2.51 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल शामिल है। यह परियोजना 103 मेगावाट जल विद्युत और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा भी उत्पन्न करेगी। परियोजना के शुरुआती कार्यों में भूमि अधिग्रहण एवं पुनर्वास और पुनर्स्थापन शामिल है।

"नदियों को जोड़ने की योजना" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1520 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं के लाभों का ब्यौरा

प्रायद्वीपीय घटक

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू और औद्योगिक (मि.घनमी.)	जल विद्युत (मेगावाट)	स्थिति
1	महानदी (मणिभद्र) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	4.43	802	445	एफआर पूर्ण
	वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	6.25 (0.91 + 3.52 + 1.82*)	700 +125*	210 + 240*	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाडा) लिंक@@	आंध्र प्रदेश	2.1	162	--	एफआर पूर्ण
3	क) गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	2.87	237	975+ 70= 1045	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक **	तेलंगाना	2.38	232	26	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) कृष्णा (पुलिचिताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	4.74 (0.36+ 4.38)	346	90	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) पेन्नार (सोमसिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	5.81	124	90	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक **	आंध्र प्रदेश	1.71	236	40	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	1.79	58	11	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमाटी) - पेन्नार लिंक	कर्नाटक	0.69	467	--	मसौदा डीपीआर पूर्ण
		आंध्र प्रदेश	1.57	29.83		

8	क) पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी	4.91 (0.49+ 4.36 +0.06)	1105		एफआर पूर्ण
		आंध्र प्रदेश,	0.51	43	--	डीपीआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रेड एनीकट) लिंक **	तमिलनाडु	1.14	618		
		पुदुचेरी	--	62		
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडूर लिंक	तमिलनाडु	4.48	218	--	डीपीआर पूर्ण
10	क) पार्वती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश और राजस्थान	Alt.I = 2 . 3 0 Alt.II = 2.20	- 13.2	--	एफआर पूर्ण
	ख) संशोधित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	3.38 (के रूप में प्रति ड्राफ्ट पीएफआर) मध्य प्रदेश - 2.58 राजस्थान- 0.8	राजस्थान- घरेलू- 1723 एमसीएम औद्योगिक- 286 एमसीएम मध्य प्रदेश- घरेलू- 36 एमसीएम	--	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजाल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुम्बई के लिए जलापूर्ति)	--	895	5	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात	2.28	76	21	डीपीआर पूर्ण
		महाराष्ट्र	0.04	--	--	
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश	10.62 (2.51 +8.11)	194	103 मेगावाट (हाइड्रो) और 27 मेगावाट (सौर)	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु	0.91	--	3.87	एफआर पूर्ण
		केरल			504.5	

15	बेदती - वरदा लिंक@	कर्नाटक	1.05	38	--	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक***	कर्नाटक	0.34	--	--	पीएफआर पूर्ण

* ओडिशा को ओडीशा सरकार की छह परियोजनाओं से लाभ

** मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को मोड़ने के लिए वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर का कार्य पूरा कर लिया गया था। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार कर ली है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमासिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं। कावेरी बेसिन से सटे वेल्लार नदी की सहायक नदी मणिमुखता नदी में लिंक नहर को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट को और अपडेट किया गया था।

@ बेदती-वरदा संपर्क-डीपीआर इसकी पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे तैयार किया गया था, कोई एफआर तैयार नहीं किया गया था।

@@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक- इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है।

*** आगे के अध्ययन शुरू नहीं किए गए हैं क्योंकि कर्नाटक सरकार द्वारा यट्टीनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, इस लिंक के माध्यम से नेत्रावती बेसिन में पानी के डायवर्जन के लिए कोई अधिशेष पानी उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: क्रम संख्या 10 (ए) पर पीकेसी लिंक के लिए: ऑल्ट I- गांधीसागर बांध के साथ लिंकिंग, आल्ट II- राणा प्रताप सागर बांध के साथ लिंकिंग

.हिमालयी घटक

क्र.सं.	नाम	देश/लाभान्वित राज्य	वार्षिक सिंचाई (लाख हेक्टेयर)	घरेलू एवं औद्योगिक (मि. घनमी.)	जल विद्युत (मेगावाट)	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	4.74 (2.99+1.75)	24	3180	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल	8.35 (6.05+1.20 +1.10)	0	--	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	34.58 (28.80+5.78)	700	4375 (Dam PH) & 180 (Canal PH)	एफआर पूर्ण और परिचालित
4.	घाघरा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और नेपाल	27.84 (25.30 + 2.54)	1391	10884	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड	2.95 (2.65 + 0.30)	3054	6620	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	2.51 (0.11+ 2.40)	30	--	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	11.53 (11.21+0.32)	102	--	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	0.67 (0.13 + 0.54)	--	--	मसौदा एफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	3.07 (2.39 + 0.68)	360	95(90 बांध पीएच) एवं 5 (नहर पीएच)	मसौदा एफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.41 (2.05 + 1.00 + 0.36)	--	--	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोषा-तिस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	3.559 (0.975+ 1.564+ 1.02)	265	360	पीएफआर पूर्ण (प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है)
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	1.50	184	--	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	12.30 (11.18+ 0.39+ 0.73)	432	--	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	2.16 (0.18+ 1.98)	198	20	एफआर पूर्ण

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1463
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

गंगा में प्रदूषण का स्तर

1463. श्री इमरान मसूद:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) वर्ष 2017 से गंगा नदी में पाए जाने वाले प्रदूषण (अकार्बनिक, कार्बनिक और भारी धातु आदि) का स्तर क्या है;
- (ख) वर्ष 2017 से नमाम गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक स्वीकृत और पूरी की गई परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या कतनी है;
- (ग) आवंटित बजट और कए गए व्यय का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या नमाम गंगे कार्यक्रम के प्रभाव का अब तक कोई वश्लेषण क्या गया है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (च) उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नमाम गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत चल रही परियोजनाओं का परियोजनावार ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से गंगा के मुख्य भाग पर बसे 5 राज्यों में गंगा नदी की जल गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है, जिनमें नामतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नहाने के पानी के लिए अधसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंडों में शामिल वास्तविक मानदंड और जैविक मानदंड का राज्य-वार आंकड़े अनुलग्नक-1 में संलग्न है। वर्ष 2017 से 2024 तक अकार्बनिक मानदंड और भारी धातुओं से संबंधित राज्य-वार आंकड़े अनुलग्नक-11 में संलग्न है।

(ख): नमाम गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत, जनवरी 2017 से गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए कुल 349 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है और इस अवधि में 268 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिसका व्यौरा अनुलग्नक-III में संलग्न है।

(ग): परियोजना-वार आवंटित बजट और व्यय का ववरण अनुलग्नक-IV में संलग्न है।

(घ) और (ङ): नमाम गंगे मिशन के मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया को तृतीय पक्षकार एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में पाया कि नमाम गंगे मिशन ने गंगा नदी बेसिन में अपशिष्ट जल उपचार अवसंरचना में काफी वृद्धि हुई है, जिसमें नदी के किनारों पर घाट विकास, नदी की सतह की सफाई प्रक्रियाओं, वनीकरण, जैव विविधता, जैविक कृषि आदि में निवेश को शामिल किया है। कार्यान्वयन एजेंसियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ पहलों में सहयोग की दृष्टि से समुदाय की भागीदारी, इन परियोजनाओं के अन्य प्रमुख योगदान में से है। बेसिन राज्यों और स्थानीय निकायों के साथ इस कार्यक्रम का वकेंद्रीकरण और उसे मुख्यधारा में लाना ही इस कार्यक्रम की पहचान रही है। एएससीआई ने अपनी मूल्यांकन में उल्लिखित किया है कि, एनजीएम ने निरंतर प्रवाह (अवरल धारा) और अप्रदूषित प्रवाह (निर्मल धारा) के अपने जनादेश की उपलब्धि में प्रगति की है। इसने मिशन मोड में बड़े पैमाने पर नदी संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के लिए सफल और दोहराने योग्य मॉडल द्वारा पथ-प्रदर्शक की भूमिका निभाई है और वैश्विक मान्यता प्राप्त की है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा नदी के जल गुणवत्ता की निगरानी की है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में किए गए आकलन (वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के डेटा) के आधार पर गंगा नदी पर पीआरएस इस प्रकार हैं:

क. उत्तराखंड प्रदूषित क्षेत्र में नहीं आता (बीओडी < 3 म.ग्रा./ली.);

ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मर्जापुर से गाजीपुर तक - प्राथमिकता वर्ग V (बीओडी 3-6 म.ग्रा./ली.);

ग. बिहार में, बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के साथ - प्राथमिकता वर्ग IV (बीओडी 6-10 म.ग्रा./ली.);

घ. झारखंड प्रदूषित क्षेत्र में नहीं आता (बीओडी <3 म.ग्रा./ली.);

ड. पश्चिम बंगाल में, बहमपुर से हल्दिया - प्राथमिकता श्रेणी IV (बीओडी 6-10 म.ग्रा./ ल.)।

इसके अलावा, घुलत ऑक्सीजन का मान, जो नदी के स्वास्थ्य का संकेतक है, को सूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमाओं के भीतर पाया गया है और यह गंगा नदी के लगभग पूरे हिस्से के पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए संतोषजनक है।

(च): उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, एनएमसीजी ने निम्नलिखित दो सीवेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विचार किया है:

क्र.सं.	शहर	परियोजनाओं का नाम	संस्वीकृत लागत (करोड़ रुपये में)	क्षमता (एमएलडी में)	स्थिति
1	सहारनपुर	इंटरसेप्शन एण्ड डायवर्जन और सीवेज उपचार संयंत्र कार्य	577.23	135	संस्वीकृत
2	देवबंध	इंटरसेप्शन एण्ड डायवर्जन और सीवेज उपचार संयंत्र कार्य	134.71	20	संस्वीकृत

अनुलग्नक-1

"गंगा में प्रदूषण का स्तर" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सीपीसीबी द्वारा स्नान के पानी के लिए अधसूचित प्राथमिक जल गुणवत्ता मापदंडों में शामिल भौतिक और जैविक मानकों का राज्यवार, वर्षवार ववरण।

राज्य	मानक		2017		2018		2019		2021		2022		2023	
			न्यूनतम	अधिकतम										
उत्तराखंड	भौतिक मानक	पीएच	6.8	8.2	7	8.4	7.1	8.4	6.6	8.4	6.4	8.4	7	8.6
		घुलत ऑक्सिजन	6.4	10.6	8.2	10.6	8.6	11.8	8	12.8	8	11	6.2	11
	जैविक मानक	जैव रासायनिक ऑक्सीजन डमांड	1	6.6	1	1.2	1	2	0.4	4	1	2.6	1	2.8
उत्तर प्रदेश	भौतिक मानक	पीएच	6.3	8.8	6.1	8.7	6.5	8.7	6.7	8.8	6.5	8.5	6.4	8.7
		घुलत ऑक्सिजन	5	11.3	2.8	11.6	4.6	12.2	5.6	12.5	5	12	4.1	11.6
	जैविक मानक	जैव रासायनिक ऑक्सीजन डमांड	1.2	6.4	0.9	8.5	0.5	5.8	बीडीएल	9.8	1	5.3	1	6.9
बिहार	भौतिक मानक	पीएच	6.4	8.8	6.3	8.7	6.6	8.8	6.8	8.9	6.6	8.6	6.9	8.7
		घुलत ऑक्सिजन	4.6	7.8	2	14.1	5.6	9.8	4.3	11.1	3.7	12.8	5	13.4

राज्य	मानक		2017		2018		2019		2021		2022		2023	
			न्यूनतम	अधकतम										
	जैव मानक	जैव रासायनिक ऑक्सीजन डमांड	0.5	4.2	1.4	5	1.1	2.9	1.1	6.7	1	7.9	1	3.2
झारखंड	भौतिक मानक	पीएच	7.2	8	7.6	8.5	7.6	8.6	7	8.5	7.4	7.8	7.4	7.6
		घुलत ऑक्सिजन	7.4	9	7.6	8.9	7.8	8.6	7.6	10.5	6.4	7.8	6.6	7.3
	जैव मानक	जैव रासायनिक ऑक्सीजन डमांड	2.6	2.7	2.2	2.8	2.2	2.8	1.4	2.8	1.2	2.4	1.1	1.6
पश्चिम बंगाल	भौतिक मानक	पीएच	6.3	8.4	6.5	9.2	6.7	8.9	6.1	8.8	6.4	8.6	6.8	8.6
		घुलत ऑक्सिजन	3.6	9.9	3.1	11.2	3.5	11.5	3.7	12.5	3.2	9.9	4.8	9.4
	जैव मानक	जैव रासायनिक ऑक्सीजन डमांड	0.7	7.2	0.7	10.1	0.4	8	बीडीएल	7.7	1.1	4.7	1	4.9

नोट: 1. बीडीएल- पहचान करने की सीमा से कम

अनुलग्नक -II

"गंगा में प्रदूषण का स्तर" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

गंगा के मुख्य धारा वाले राज्यों की अकार्बनिक और भारी धातुओं के आंकड़ों का राज्य-वार, वर्ष वार ब्यौरा।

राज्य	मानक		2017		2018		2019		2021		2022		2023							
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम						
उत्तराखण्ड	अकार्बनिक मापदंड	कलोराइड	5	18	4	10	4	19	बीडीएल	20	बीडीएल	56	बीडीएल	22						
		अमोनियाकल-एन	बीडीएल		बीडीएल		लागू नहीं		लागू नहीं											
		कैल्सियम	12	188	11	72	34	98	18	210	बीडीएल	280	9	226						
		मैग्नेशियम	5	76	3	48	16	44	5	90	6	124	बीडीएल	152						
		सल्फेट	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं		10	140.2	10.1	81	10.3	85.9						
		फ्लोराइड	लागू नहीं		बीडीएल				बीडीएल	2.4	बीडीएल	1.1	बीडीएल	0.9						
	भारी धातु	आर्सेनिक	लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं		लागू नहीं		बीडीएल		बीडीएल							
		कैडमियम	लागू नहीं		बीडीएल						बीडीएल		0.3	बीडीएल						
		कॉपर	बीडीएल		बीडीएल						बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	0.4				
		लेड	बीडीएल		बीडीएल						बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल					
		क्रोमियम	बीडीएल	0.04	बीडीएल	0.02					बीडीएल		बीडीएल		0.4	बीडीएल				
		निकेल	बीडीएल	0.04	बीडीएल						बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल					
		ज़िंक	बीडीएल	0.08	बीडीएल	0.06					बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	0.5				
		मरकरी	बीडीएल		बीडीएल						बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल					
		आयरन	0.4	10.4	0.04	6.3					बीडीएल		बीडीएल		4.8	0.2	4.1			
		उत्तर प्रदेश	अकार्बनिक मापदंड	कलोराइड	0	59					3.9	65	3.8	64	6	3100	8	80	8	67
				अमोनियाकल-एन	0.02	26					0.02	2.3	0.02	1.9	बीडीएल	1.08	बीडीएल	0.8	बीडीएल	0.7
				कैल्सियम	52	148					10	158	20	156	14	332	12	654	16	150
मैग्नेशियम	6			112	8	146	8.3	96	9.7	183	12.6	434	8.2	82						
सल्फेट	0.2			38.4	7.2	58	8.2	58	बीडीएल	170	बीडीएल	230	बीडीएल	42						
फ्लोराइड	0.01			38	0.02	0.8	0.02	2.8	बीडीएल	1.07	बीडीएल	28	बीडीएल	0.8						
भारी धातु	आर्सेनिक		बीडीएल	0.01	लागू नहीं		0.02		लागू नहीं		बीडीएल		बीडीएल							

राज्य	मानक	2017		2018		2019		2021		2022		2023		
		न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	
	कैड मयम	लागू नहीं		लागू नहीं		बीडीएल	0.3	लागू नहीं		बीडीएल		बीडीएल		
		कोपर	बीडीएल	0.23	0.06	0.1	बीडीएल	0.8	बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	
		लेड	बीडीएल		लागू नहीं		बीडीएल	0.2	0.04		बीडीएल		बीडीएल	0.06
		क्रो मयम	बीडीएल	0.06	0.05		बीडीएल	0.09	बीडीएल		बीडीएल		बीडीएल	0.1
		निकेल	बीडीएल	0.26	लागू नहीं		0.03	0.2	लागू नहीं		बीडीएल		बीडीएल	
		जिंक	0.02	0.3	0.1	0.2	0.03	0.6	0.01		बीडीएल		बीडीएल	
		मरकरी	लागू नहीं		लागू नहीं		0.005	0.05	लागू नहीं				बीडीएल	0.004
		आयरन	0.12	6	0.1	0.2	0.1	12.5	लागू नहीं		0.1	1.9	बीडीएल	1.7
		बिहार	अकार्बनिक मापदंड	करोराइड	5	60	7	74	7	63	9	108	बीडीएल	121
अमोनियाकल-एन					0.01	4.2	0.01	2.1	बीडीएल	5.6	बीडीएल	9.5	बीडीएल	8.4
कैल्सियम	5.6			80	6.4	83.3	2.4	74	9	100	11.2	61.7	16.8	97.7
मैग्नेशियम	0.4			54	1.8	71	1.5	87	4.8	55.3	4.4	53.9	8.3	66
सल्फेट	5.8			33	6.4	52	2.3	122	बीडीएल	98.4	बीडीएल	4385	12	98.6
फ्लोराइड	0.06			0.5	0.01	1.2	0.01	0.9	बीडीएल	1	बीडीएल	0.9	बीडीएल	0.8
भारी धातु	आर्सेनिक		वश्लेषण नहीं कया गया है											
	कैड मयम													
	कोपर													
	लेड													
	क्रो मयम													
	निकेल													
	जिंक													
	मरकरी													
आयरन														
झारखंड	अकार्बनिक मापदंड	करोराइड	वश्लेषण नहीं कया गया है											
		अमोनियाकल-एन												
		कैल्सियम												
		मैग्नेशियम												
		सल्फेट												
		फ्लोराइड												
	भारी धातु	आर्सेनिक												

राज्य	मानक	2017		2018		2019		2021		2022		2023		
		न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	न्यूनतम	अ धकतम	
पश्चिम बंगाल	अकार्बनिक मापदंड	करोराइड	3.6	1699	4.3	1399	4.8	6555	बीडीएल	2321	बीडीएल	18859	बीडीएल	5846
		अमोनियाकल-एन	बीडीएल	0.8	0.01	1.2	बीडीएल	2.1	बीडीएल	1.6	बीडीएल	1.1	बीडीएल	1.5
		कैल्सियम	21	116	20	96	4	184	12	244	बीडीएल	46	29	56
		मैग्नि शयम	4.3	68	4	48	1.8	382	बीडीएल	131	बीडीएल	25	5.8	25.2
		सल्फेट	7	240	7.2	293	4.6	552	8.2	1134	10.3	652	9.5	934
		फ्लोराइड	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.6	बीडीएल	1.06	बीडीएल	0.5	बीडीएल	0.5
	भारी धातु	आर्सेनिक	बीडीएल	0.003	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	0.01	बीडीएल	0.08	
		कैड मयम	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल		
		कॉपर	बीडीएल	0.36	बीडीएल	25	बीडीएल	28.5	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल		
		लेड	बीडीएल	0.03	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	0.06	बीडीएल	0.02	बीडीएल	0.01	
		क्रो मयम	बीडीएल	बीडीएल	लागू नहीं	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	0.12	
		निकेल	बीडीएल	0.03	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	0.19	
		ज़िंक	बीडीएल	1.02	बीडीएल	216.5	बीडीएल	84	बीडीएल	0.19	बीडीएल	0.2	बीडीएल	0.2
		मरकरी	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	बीडीएल	
आयरन	बीडीएल	5.5	बीडीएल	10.7	बीडीएल	62	बीडीएल	11.4	0.1	7.9	0.08	11.3		

टिप्पणी: 1. बीडीएल- पहचान करने की सीमा से कम, एनए- वश्लेषण नहीं किया गया है

2. सभी पैरामीटर एमजी/ली में दिए गए हैं

अनुलग्नक -III

"गंगा में प्रदूषण का स्तर" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए अतारां कत प्रश्न सं. 1463 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक नमा म गंगे कार्यक्रम के तहत जनवरी 2017 से दिसंबर 2024 तक स्वीकृत और पूर्ण परियोजनाओं की राज्यवार कुल संख्या के ववरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य/अन्य	जनवरी 2017 - दिसम्बर 2024 तक	
		स्वीकृत परियोजनाओं की कुल संख्या	पूर्ण कए गए परियोजनाओं की संख्या *
क. सीवेज अवसंरचना परियोजनाएँ:			
1	उत्तराखंड	19	28
2	उत्तर प्रदेश	55	42
3	बिहार	24	18
4	झारखंड	3	2
5	पश्चिम बंगाल	23	14
6	हरियाणा	0	2
7	दिल्ली	8	8
8	हिमाचल प्रदेश	1	1
9	राजस्थान	1	0
10	मध्य प्रदेश	3	0
	उप योग	137	115
ख.	सामान्य अपशष्ट उपचार संयंत्र, नदी फ्रंट वकास, संस्थागत वकास, अनुसंधान और अध्ययन, जैव व वधता, वनीकरण, आदि।	212	153
	योग	349	268

अनुलग्नक -IV

"गंगा में प्रदूषण का स्तर" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 13.02.2025 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं. 1463 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

परियोजना-वार आवंटित बजट और व्यय का ववरण

क्र.सं.	परियोजना-वार/घटक-वार	कुल स्वीकृत (करोड़ रुपए में)	व्यय(करोड़ रुपए में) दिसम्बर 2024 तक
1.	सीवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर	32,613	15,547
2.	जैव उपचार	395	40
3.	घाट और शमशान	1,811	1,267
4.	ठोस अप शष्ट प्रबंधन	1,468	1,182
5.	औद्योगिक अप शष्ट उपचार/निगरानी और मॉनिटरिंग/आर एंड डी परियोजनाएँ	1,762	562
6.	पारिस्थितिकी परियोजनाएँ	951	503
7.	जी वका परियोजनाएँ	46	19
8.	पब्लिक आउटरिच परियोजनाएँ	427	217
9.	नॉलेज परियोजनाएँ	257	63
	कुल	39,730	19,400

*इस राश में राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1461
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में अटल भूजल योजना के अंतर्गत जलसंकटग्रस्त गांवों की पहचान

1461. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अटल भूजल योजना (एबीवाई) के अंतर्गत सहभागी राज्यों में जलसंकटग्रस्त ग्राम पंचायतों (जीपी) की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंड क्या हैं;
- (ख) इन राज्यों में एबीवाई के अंतर्गत चिह्नित किए गए और शामिल किए गए जलसंकटग्रस्त गांवों की जिलेवार कुल संख्या कितनी है;
- (ग) एबीवाई के आरंभ से इसके तहत शुरू की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इनके कार्यान्वयन के लिए आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) आंध्र प्रदेश में, और विशेष रूप से नान्दयाल में, जलसंकटग्रस्त गांवों का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या इस तथ्य के दृष्टिगत कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश एबीवाई के अंतर्गत शामिल नहीं है, सरकार का विचार निकट भविष्य में नान्दयाल जैसे जिलों को कवर करने के लिए एबीवाई का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक शामिल किए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): अटल भूजल योजना को सात राज्यों अर्थात् हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यों का चयन, मापदंडों की संख्या के अनुसार, किया जाता है, जिसमें भूजल प्रबंधन से संबंधित कार्यान्वयन पहल, भूजल अतिदोहन, और डिग्रेडेशन की डिग्री, संस्थागत तत्परता विनियमित दस्तावेज स्थापित कानूनी अनुभव शामिल है।

(ख): सात राज्यों में अटल भूजल योजना के अंतर्गत शामिल क्षेत्र को निम्नलिखित यूआरएल पर [https://ataljal.mowr.gov.in/WriteReadData/GeneralNotices/6ebd9724-a9b2-4bb1-a8d5-4843116c4e37_adbbde Master List ABY 26072024.pdf](https://ataljal.mowr.gov.in/WriteReadData/GeneralNotices/6ebd9724-a9b2-4bb1-a8d5-4843116c4e37_adbbde_Master_List_ABY_26072024.pdf) देखा जा सकता है।

(ग): अटल भूजल योजना, भूजल विकास से भूजल प्रबंधन की ओर, एक मूल बदलाव की प्रतीक है। इस योजना की मुख्य विशेषताओं में, समुदाय आधारित निगरानी और भूजल डेटा साझाकरण, प्लानिंग, क्षमता निर्माण और सूचना, शिक्षा और संचार कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। यह भूजल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइपलाइनों का उपयोग आदि जैसे मांग पक्ष कार्यकलाप पर केंद्रित प्रथम योजना है। जल बजट तथा सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण, पाइप लाइनों का उपयोग जैसे प्रस्तावित मांग पक्ष कार्यकलाप तथा चैक डैम, फार्म पॉड, जल पुनर्भरण शाफ्ट जैसे आपूर्ति पक्ष कार्यकलाप तथा अन्य कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरचनाओं का विनिर्माण तथा उनका चल रहीं योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से निष्पादन जैसी जल सुरक्षा योजनाओं का ग्राम-पंचायत-वार ब्यौरा। अटल भूजल योजना के अंतर्गत पूर्ण/चल रही प्रमुख कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:

- i. सभी अटल जल ग्राम पंचायतों में खुला प्रकटीकरण के विभिन्न तरीकों जैसे कि केंद्र/राज्य वेब पोर्टल, प्रत्येक ग्राम पंचायत में डिस्प्ले बोर्ड, सोशल मीडिया, वॉल-पेंटिंग, पैम्फलेट/ब्रोशर का वितरण, सार्वजनिक बैठकें और अटल जल मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से डेटा का सार्वजनिक खुलासा।
- ii. अटल भूजल योजना की सभी ग्राम पंचायतों के लिए जल बजट और समुदाय आधारित जल सुरक्षा योजनाएं तैयार करना।
- iii. डब्ल्यूएसपी के तहत, प्रस्तावित आपूर्ति पक्ष और मांग पक्ष उपायों के कार्यान्वयन लिए चल रही/नई योजनाओं के अभिसरण से 4600 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित की गई है।
- iv. लगभग 6.7 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप, स्पिंकलर, मल्टिचिंग, फसल विविधीकरण आदि सहित कुशल जल उपयोग पद्धतियों के अंतर्गत लाया गया है।
- v. 68,000 से अधिक कृत्रिम पुनर्भरण/जल संरक्षण अवसंरचनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है।
- vi. अब तक, 1.2 लाख से अधिक प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।
- vii. वर्ष 2024 में, 1,333 ग्राम पंचायतों और 61 ब्लॉक में जल स्तर में बढ़ोतरी देखी गई है।

अटल भूजल योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को इस योजना के शुरुआत से अब तक किया गया अंतिम आवंटन, नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

राज्य/एनपीएमयू	सांकेतिक आवंटन (करोड़ रुपए में)
गुजरात	756.76
हरियाणा	723.19
कर्नाटक	1201.52
मध्य प्रदेश	314.54
महाराष्ट्र	925.77
राजस्थान	1189.65
उत्तर प्रदेश	729.24
राष्ट्रीय कार्यक्रम निगरानी इकाई	159.33
कुल	6000.00

राज्यों को संवितरित निधियों का राज्य-वार विवरण और अटल भूजल योजना की शुरुआत से राज्यों द्वारा उपयोग की निधियों का ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है:

(करोड़ रुपये में) (दिनांक 06.02.2025 तक)

राज्य	संवितरित निधियां	उपयोग की गई निधि
गुजरात	522.28	440.94
हरियाणा	729.50	526.32
कर्नाटक	819.51	735.20
मध्यप्रदेश	180.97	169.31
महाराष्ट्र	506.61	504.16
राजस्थान	389.53	361.43
उत्तर प्रदेश	198.53	173.22
कुल	3,346.93	2,910.58

(घ): प्रत्येक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय भूजल संसाधनों का आंकलन वर्ष 2022 से वार्षिक रूप से केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। “भारत के सक्रिय भूजल संसाधन का राष्ट्रीय संकलन, 2024” के रिपोर्ट के अनुसार, आंध्रप्रदेश में 679 आंकलन इकाई में से, 9 (1.3 प्रतिशत) इकाई को ‘अति-दोहित’, 2 इकाई (0.3 प्रतिशत) को ‘गंभीर’, 38 इकाई (5.6 प्रतिशत) को ‘अर्द्ध गंभीर’, 591 इकाई (87 प्रतिशत) को ‘सुरक्षित’ के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है और 39 इकाई को ‘लवणता’

(5.74 प्रतिशत) के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। मंडल को इकाई के रूप में लेते हुए आंध्रप्रदेश में भूजल संसाधन का आंकलन किया जाता है। नंदयाल जिला में 29 आंकलन इकाई है और सभी को 'सुरक्षित श्रेणी' के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। आंध्रप्रदेश में अर्द्ध-गंभीर, गंभीर, और अति-दोहित आंकलन इकाईयों की स्थिति का जिला-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	जिले का नाम	कुल आंकलन इकाईयां	जिसमें से		
			अर्द्ध-गंभीर	गंभीर	अति-दोहित
1.	श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर	37	1	0	0
2.	श्रीकाकुलम	30	0	1	1
3.	श्री साथया साय	32	5	1	4
4.	कोन्नासीमा	22	0	0	0
5.	ईलूरु	27	0	0	0
6.	पश्चिम गोदावरी	20	0	0	0
7.	बापतल्ला	25	0	0	0
8.	पालनाडु	28	1	0	1
9.	काकीनाडा	21	0	0	0
10.	वाई.एस.आर. कडप्पा	36	4	0	0
11.	अनंतपुरमू	32	1	0	0
12.	चित्तूर	31	10	0	0
13.	पूर्वी गोदावरी	19	4	0	0
14.	गुनटूर	18	0	0	0
15.	कृष्णा	25	0	0	0
16.	करनूल	26	1	0	0
17.	प्रकाशम	38	5	0	3
18.	विशाखापट्टनम	11	4	0	0
19.	अन्नामाया	30	2	0	0
	कुल	508	38	2	9

(ड): अटल भूजल योजना, निश्चित अवधि और परित्यय के साथ सहभागी भूजल प्रबंधन के साथ तैयार की गई एक प्रायोगिक परियोजना है। इस समय, यह परियोजना प्रभाव आंकलन चरण में है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1442
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

आंध्र प्रदेश में भूजल की गुणवत्ता

1442. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:
श्री जी. एम. हरीश बालयोगी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आन्ध्र प्रदेश में भूजल में फ्लोराइड, नाइट्रेट, क्लोराइड, आर्सेनिक और यूरेनियम की मात्रा अधिक है और यह उच्च विद्युत चालकता (ईसी), सोडियम अवशोषण अनुपात (एसएआर) और अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (आरएससी) भी प्रदर्शित करता है;
- (ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जिलावार, विशेषकर पलनाडु के जल के नमूनों में अनुमेय सीमा से अधिक प्रत्येक पैरामीटर दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा लवणता के मिश्रण, कृषि अपवाह और भूजल के अतिदोहन को कम करने के उपायों सहित इन मुद्दों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
- (घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में जल की गुणवत्ता और भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में जन स्वास्थ्य, कृषि और मृदा अवक्रमण पर खराब जल गुणवत्ता के प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन कराया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) आंध्र प्रदेश सहित अपने भूजल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम और विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के अंतर्गत क्षेत्रीय स्तर पर भूजल गुणवत्ता आंकड़े सृजित करता है। सीजीडब्ल्यूबी की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट, 2024 के डेटा के आधार पर, देश के आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों

के कुछ अलग-थलग क्षेत्रों में फ्लोराइड, नाइट्रेट, आर्सेनिक आदि जैसे प्रदूषकों की उपस्थिति सूचित की गई है। आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विभिन्न प्रदूषकों और अन्य मानकों जैसे विद्युत चालकता (ईसी), सोडियम एड्सोर्प्शन रेशो (एसएआर) और अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (आरएससी) का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक-I में दिया गया है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष रूप से पलनाडु जिले का पिछले पांच वर्षों में अनुमेय सीमाओं से ऊपर पाए गए नमूनों का पैरामीटर-वार विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

(ग): जल, एक राज्य का विषय होने के कारण, जल की गुणवत्ता सहित उसका सतत विकास और भूजल संसाधनों का प्रबंधन, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। हालांकि, केंद्रीय सरकार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करती है। इस दिशा में, जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम नीचे दिए गए हैं :-

- सीजीडब्ल्यूबी के पास उपलब्ध भूजल गुणवत्ता के डेटा को, रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है और आवश्यक उपचारात्मक उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के साथ भी साझा किया जाता है। भूजल गुणवत्ता संबंधी जानकारी के प्रसार को अधिक तीव्र बनाने के लिए, सीजीडब्ल्यूबी ने अर्ध-वार्षिक भूजल गुणवत्ता बुलेटिन और हर पखवाड़े में अलर्ट जारी करने की प्रथा शुरू की है ताकि सूचित किए गए क्षेत्रों में तत्काल कार्रवाई की जा सके।

- सीजीडब्ल्यूबी के राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण कार्यक्रम (एनएक्यूआईएम) के अंतर्गत, भूजल में विषैले पदार्थों से होने वाले संदूषण सहित भूजल गुणवत्ता के पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। सीजीडब्ल्यूबी, सफलतापूर्वक आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में नई सीमेंट सीलिंग तकनीक का उपयोग करके आर्सेनिक मुक्त कुएं बना रहा है, ताकि संदूषण मुक्त जलाशयों की टैपिंग की जा सके और साथ ही फ्लोराइड से सुरक्षित कुएं निर्मित करने में राज्य विभागों को तकनीकी सहायता भी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा, सल्लिनिटी इन्व्ग्रेस, अल्कलायिनिटी आदि जैसे सूचित किए गए भूजल मुद्दों से जुड़े क्षेत्रों में, एनएक्यूआईएम अध्ययन के लिए प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जा रहा है।

- भारत सरकार, राज्यों की साझेदारी में, देश के हर ग्रामीण घर को निर्धारित गुणवत्ता का पीने योग्य नल के पानी नियमित और दीर्घकालिक आधार पर आपूर्ति करने के लिए अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को कार्यान्वित कर रही है। जेजेएम के अंतर्गत, घरों को नल से जल प्रदान करने के लिए जल आपूर्ति योजनाओं का नियोजन करते समय, ऐसी बस्तियों को प्राथमिकता दी जाए जहां जल की गुणवत्ता प्रभावित हो। किसी विशेष वित्तीय वर्ष

में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि आवंटित करते समय, रासायनिक प्रदूषकों से प्रभावित बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या को 10% वेटेज दिया जाता है।

- भूजल प्रदूषण को रोकने और संदूषित जल के सुरक्षित उपयोग को शामिल करते हुए सीजीडब्ल्यूबी द्वारा भूजल के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता सृजन करने वाले कार्यक्रम/कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं।

- चूँकि कृत्रिम पुनर्भरण गतिविधियों को अपनाकर भी भूजल की गुणवत्ता में कुछ हद तक ही सुधार लाया जा सकता है, इसलिए जल शक्ति मंत्रालय और अन्य केंद्रीय मंत्रालय इस दिशा में कई कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनसे भूमिगत जल स्तर में सुधार होने की उम्मीद है और साथ ही डायल्युशन इफेक्ट के माध्यम से यह भूजल की गुणवत्ता में सुधार करने में भी सहायक होगा। जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर मिशन, मनरेगा, पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी आदि ऐसे कुछ कार्यक्रम हैं।

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सतही जल और भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है और भूजल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से सिंचाई उद्देश्यों के लिए प्रदूषण मुक्त जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी योजना के तहत देश में सतही जल आधारित प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं।

- कृषि उत्पादकता को प्रभावित करने वाली जल-लवणता की समस्या से निपटने के लिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-सीएसएसआरआई), करनाल द्वारा जलभराव ग्रस्त खारी काली मिट्टी में सुधार के लिए उप-सतही जल निकासी (एसएसडी) तकनीक विकसित की है, जिसका सफलतापूर्वक निष्पादित किया गया है और इसे राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जा सकता है।

- देश में सतत कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, जिसके उद्देश्यों में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को हतोत्साहित करना और जैविक कृषि पद्धतियों जैसे मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मृदा हेल्थ कार्ड योजनाओं को कार्यान्वित करना, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के तहत भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति (बीपीकेपी) कार्यक्रम के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

(घ): भूजल संरक्षण और पुनर्भरण गतिविधियों को मिशन मोड में शुरू करने के लिए, सरकार वर्ष 2019 से देश में जल शक्ति अभियान (जेएसए) कार्यान्वित कर रही है, जो एक छत्र अभियान है जिसके तहत विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के समन्वय में विभिन्न भूजल पुनर्भरण और संरक्षण से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, जेएसए के तहत वर्ष 2021 से आंध्र प्रदेश में 4.82 लाख से अधिक जल संरक्षण और वर्षा

जल संचयन संरचनाएँ निर्मित/पुनर्स्थापित की गई हैं और समन्वय के माध्यम से कुल व्यय 9,292 करोड़ रुपये किया गया है।

इसके अलावा, सरकार देश के हर घर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से जल जीवन मिशन कार्यान्वित कर रही है, जिससे जल प्रभावित करने वाले स्रोतों की पहचान करने के लिए उनका नियमित परीक्षण, प्रदूषण मुक्त सुरक्षित जलभृतों की टैपिंग और जहाँ भी संभव हो सतही जल जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर स्विच करने जैसे उपायों के माध्यम से भूजल प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में एक प्रमुख भूमिका निभाना है। जेजेएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह पता चलता है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 (फरवरी 2025 तक) 6,045.04 करोड़ रुपये (केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा) की धनराशि जारी की गई और आंध्र प्रदेश में लगभग 70 लाख ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में 4,209.84 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

(ड): संदूषित भूजल के सेवन से, आर्सेनिकोसिस, फ्लोरोसिस, न्युरोलोजिकल डिसऑर्डर, गुर्दे की खराबी, बच्चों में विकास संबंधी समस्याएं आदि जैसे कई प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कृषि क्षेत्र में, लवणता और क्षारीयता की समस्याएं मिट्टी की गुणवत्ता, उर्वरता और फसल के विकास को प्रभावित करता है।

अनुलग्नक-I

"आंध्र प्रदेश में भूजल की गुणवत्ता" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में फ्लोराइड, नाइट्रेट, ईसी और क्लोराइड की सीमा से अधिक अंश वाले नमूनों की संख्या और उनकी प्रतिशत का विवरण (वर्ष 2023)

क्र.सं.	एकत्रित नमूनों की संख्या	उल्लिखित मापदंडों के लिए अनुमेय सीमा से अधिक वाले नमूनों की संख्या				
		एफ (> 1.5 मिलीग्राम/एल)	नाइट्रेट (> 45 मिलीग्राम/लीटर)	ईसी (> 3000 μ एस/सेमी)	क्लोराइड (> 1000 मिग्रा/लीटर)	यू और एस
1	1149	130 (11.3%)	270 (23.4%)	112 (9.7%)	40 (3.4%)	ट्रेस एलिमेंट; विश्लेषण के लिए नमूने एकत्रित नहीं किए गए।

आंध्र प्रदेश के लिए सोडियम एडसोर्पशन रेशो (एसएआर)

(कुल सैंपल: 1149)		
एसएआर	संख्या	प्रतिशत
कम सोडियम (एसएआर <10)	1063	92.6
मध्यम सोडियम (एसएआर 10-18)	60	5.2
उच्च सोडियम (एसएआर 18-26)	15	1.3
अत्यधिक सोडियम (एसएआर >26)	11	0.9

वर्ष 2023 आंध्र प्रदेश में अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट (आरएससी)

(कुल सैंपल: 1149)		
अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट	संख्या	प्रतिशत
बहुत सुरक्षित (आरएससी <1.25)	758	66.0
कम सुरक्षित (1.25-2.5)	174	15.2
अनुपयुक्त (>2.5)	217	18.8

"आंध्र प्रदेश में भूजल की गुणवत्ता" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1442 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश में और विशेष रूप से पलनाडु जिले में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक पैरामीटर के लिए अनुमेय सीमा से अधिक अंश वाले जल के नमूनों का विवरण

क्र. सं.	वर्ष	राज्य/ जिला	एक त्रित नमूनों की संख्या	फ्लोराइड दर्शाने वाले नमूनों % (>1.5 मिलीग्राम/लीटर)	नाइट्रेट दर्शाने वाले नमूनों % (>45 मिलीग्राम/लीटर)	ईसी दर्शाने वाले नमूनों का % (>3000 μ S/सेमी)	क्लोराइड दर्शाने वाले नमूनों का % (>1000 मिलीग्राम/लीटर)	एकत्रित नमूनों का % (>0.01 मिलीग्राम/लीटर)	एएस दर्शाने वाले नमूनों का % (>0.03 मिलीग्राम/लीटर)	यू दर्शाने वाले नमूनों का % (>0.03 मिलीग्राम/लीटर)
1	2023	आंध्र प्रदेश	1149	11.3	23.5	9.7	3.5			
2		पालनाडु	70	27.1	51.4	22.9	5.7			
3	2022	आंध्र प्रदेश	940	10.3	31.4	10.3	3.2			
4		पालनाडु	55	18.2	43.6	18.2	1.8			
5	2021*	आंध्र प्रदेश	55	5.5	30.9	1.8	0.0			
6		पालनाडु	उपलब्ध नहीं							
7	2019	आंध्र प्रदेश	593	8.3	32.7	14.7	4.9	588	3.9	4.9
8		पालनाडु	37	13.5	56.8	40.5	2.7	37	4	0
* कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में नमूने एकत्र नहीं किए गए थे										
** भारी ट्रेस एलिमेंट के विश्लेषण के लिए नमूने वर्ष 2021-23 से एकत्र नहीं किए गए										

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1435
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना में पानी का हिस्सा

1435. श्री मुरारी लाल मीना:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) का नाम बदलकर पीकेसी किए जाने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच किन-किन शर्तों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे;
- (ख) उक्त परियोजना के अंतर्गत राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए कितना-कितना पानी निर्धारित किया गया है और राजस्थान के हिस्से में कमी के कारण, यदि कोई हों, क्या हैं;
- (ग) उक्त परियोजना के अंतर्गत अब तक पूरा हो चुके कार्य और अधूरे कार्य का ब्यौरा क्या है और इसे पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
- (घ) उक्त परियोजना से राजस्थान के किन-किन क्षेत्रों के लाभान्वित होने की संभावना है; और
- (ङ) क्या उक्त परियोजना के औद्योगिक क्षेत्रों, विशेषकर दौसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित राजस्थान के डार्क जोन ब्लॉकों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): राजस्थान सरकार द्वारा पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) को एक स्वतंत्र परियोजना के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, चंबल नदी प्रणाली के जल के उपयोग हेतु राजस्थान और मध्य प्रदेश (एमपी) की राज्य सरकारों के साथ विभिन्न मंचों पर की गई चर्चाओं के आधार पर, संशोधित पार्वती-कालिसिंध-चंबल (संशोधित पीकेसी) लिंक परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसमें एमपी सरकार द्वारा कूनो, पार्वती और कालिसिंध उप-नदियों में प्रस्तावित घटकों को शामिल किया गया है, साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित ईआरसीपी के घटकों को भी शामिल किया गया है। राजस्थान और

मध्य प्रदेश राज्यों और भारत सरकार के बीच पर दिनांक 28.01.2024 को संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षर किए, इसके बाद दिनांक 05.12.2024 को लिंक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक एमओए पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, राजस्थान के लिए कुल 4102.60 मिलियन घन मीटर जल और मध्य प्रदेश के लिए 3120.09 मिलियन घन मीटर जल उपलब्ध होगा। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, दोनों राज्य अपने-अपने घटकों के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित वैधानिक मंजूरी लेने के बाद समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(ग): राजस्थान सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, नवनेरा बैराज का कार्य पूरा हो गया है, जबकि इसार्दा बांध का कार्य इस वर्ष में बाद में पूरा किया जाना है और रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नवनेरा बैराज पर पंप हाउस और नवनेरा पंप हाउस से बिसलपुर बांध और इसार्दा बांध तक मेज एनीकट और गालवा बांध के माध्यम से फीडर सिस्टम और चंबल नदी पर एक जलमार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूरा करने की योजना है।

(घ) और (ङ): अन्य बातों के साथ-साथ इस परियोजना का उद्देश्य, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों (झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापूर सिटी, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, अलवर, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली - बेहरोड़, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, झूझ, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी) की लक्षित जनसंख्या को पेयजल आपूर्ति प्रदान करना है और मार्ग में आने वाले शहरों, टैंकों और गांवों के साथ-साथ दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) और अन्य उद्योगों की औद्योगिक जल मांगों को पूरा करने के लिए 205 मिलियन घन मीटर जल प्रदान करना है, इसके अलावा राजस्थान में 2.5 लाख हेक्टेयर से अधिक नए कमांड क्षेत्र की सिंचाई के लिए जल प्रदान करना एवं लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर के मौजूदा कमांड क्षेत्र को स्थिर करना है।

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1406
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम

1406. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के अंतर्गत देश में, विशेषकर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद (धाराशिव) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और
- (ग) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आवंटित और उपयोग की गई केन्द्रीय निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इससे कितने लोग लाभान्वित हुए हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): ये कार्य महाराष्ट्र राज्य सहित देश भर में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडीडब्ल्यूएम) कार्यक्रम के तहत किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र का उस्मानाबाद (धाराशिव) संसदीय क्षेत्र भारत सरकार के किसी भी चल रहे सीएडीडब्ल्यूएम कार्यक्रम के तहत लाभार्थी जिलों में से नहीं है।

(ख): सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. कार्यों का उद्देश्य सिंचाई के लिए पानी को खेत तक पहुँचाना है, साथ ही पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत पर पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना है। 1973-74 से लागू सीएडीडब्ल्यू.एम. कार्यक्रम को 2015-16 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत लाया गया।

(ग): पिछले पांच वर्षों और इस वित्तीय वर्ष में पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम के अंतर्गत प्रदान की गई केंद्रीय सहायता (सीए) का विवरण निम्नानुसार है।

राज्य	पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) में जारी केन्द्रीय सहायता (सीए) करोड़ रुपये में	चालू वित्त वर्ष (2024-25) में जनवरी 2025 तक जारी सीए करोड़ रुपये में
असम	4.0	0
छत्तीसगढ़	6.87	0
गोवा	3.84	0
जम्मू एवं कश्मीर	1.87	0
कर्नाटक	18.10	0
केरल	2.69	0
मध्य प्रदेश	77.4615	0
महाराष्ट्र	205.7056	18.34
मणिपुर	9.822	0
ओडिशा	34.47	0
पंजाब	82.08	20.00
राजस्थान	145.6389	0
उत्तर प्रदेश	156.00	0
कुल	748.548	38.34

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-सीएडीडब्ल्यूएम परियोजनाओं के तहत लक्षित लाभार्थियों की अनुमानित संख्या 1,86,19,121 है। हालांकि, इस विभाग में सीएडीडब्ल्यूएम परियोजना के लिए अलग से लाभार्थियों का विवरण नहीं रखा जा रहा है।
